अध्याय छः

प्रकीर्ण

69. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्णक की गई या की जाने के लिए आषयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले या कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगा।

70. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाते समय अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का ध्यान रखा जाना– इस अधिनियम में जहां कहीं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम बनाते समय स्वापक ओषधि एकल कन्वेंशन, 1961, उक्त कन्वेंषन का संशोधन करने वाले 1972 के प्रोटोकाल और मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेंषन, 1971 के उपबंधों का जिसका भारत एक पक्षकार है, और स्वापक ओषधि या मनः प्रभावी पदार्थ से सम्बंधित किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों का ध्यान रख सकेगी।

71. व्यसनियों का पहचान उपचार, आदि के लिए तथा स्वापक ओषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए केन्द्र सीापित करने की सरकार की शक्ति–(1) सरकार, स्वविवेकानुसार, व्यवसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्‌वर्ती देख–रेख, पुनर्वास, सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए तथा सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यवसनियों को और अन्य व्यक्तियों को किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के प्रदाय के लिए, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यक है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो संबंधित सरकार द्वारा बिहित की जाए, इतने केन्द्र सीापित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे।

(2) सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबंध और अधीक्षण तथा वहां से स्वापक औषधियों और प्रनःप्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए और ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियों, कर्तव्यों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

72. सरकार को शोध्य राशियों की वसूली–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के किसी उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदेय कोई अनुज्ञप्ति फीस या किसी प्रकार की कोई अन्य धनराशि की बाबत, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी, जो ऐसी धनराशि के संदाय की अपेक्षा करने के लिए सशक्त है, ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसी धनराशि वसूलीय या शोध्य है, देय किसी धन में से ऐसी धनराशि की रकम की कटौती कर सकेगा अथवा ऐसी रकम या राशि की वसूली ऐसे व्यक्तियों के माल की कुर्की और विक्रय करके कर सकेगा और यदि उसकी रकम इस प्रकार वसूल नहीं की जाती है तो उसे उस व्यक्ति या उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह भू–राजस्व की बकाया हो।

(2) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में, किसी कार्य के पालन के लिए या किसी कार्य से अपने प्रविरत रहने के लिए (धारा 34 और धारा 39 के अधीन किसी बन्धपत्र से भिन्न) कोई बन्धपत्र देता है तब ऐसे पालन या प्रविरति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 74 के अर्थ में लोक कर्तव्य है, और उसके द्वारा ऐसे बन्धपत्र को शर्तों के भंग किए जाने पर, उसमें ऐसे भंग की दशा में संदाय की जाने वाली रकम के रूप में नामित संपूर्ण धनराशि उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू–राजस्व की बकाया हो।

73. अधिकारिता का वर्जन–कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारण द्वारा निम्नलिखित किसी विषय पर किए गए किसी विनिश्चय या पारित किसी आदेश के विरूद्ध कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, अर्थातः–

(क) अफीम पोस्त की खेती के लिए किसी अनुज्ञप्ति का विधारण, इंकार या रद्करण,

(ख) अफीम की क्वालिटी और उसके गाढ़ेपन के अनुसार तौल, परीक्षा और वर्गीकरण तथा ऐसी परीक्षा के अनुसार मानक कीमत से की गई कोई कटौती या उसमें परिवर्धन,

(ग) ऐसी अफीम का अधिहरण जो किसी भी विजातीय पदार्थ से अपमिश्रित पाई जाए।

74. संक्रमणकालीन उपबन्ध– इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी ऐसे विषय के सम्बंध में, जिसके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं किया गया है, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का पालन करने वाला सरकार का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन, उसी पद पर और उसी पदाभिधान से, जो वह ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व धारण कर रहा था, नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

[**74क. केन्द्रीय सरकार की निर्देश देने की शक्ति–** केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का निष्पादन करने के सम्बंध में राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।]

75. प्रत्यायोजन की शक्ति– (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (नियम बनाने की षक्ति के सिवाय), जो वह आवष्यक और समीचीन समझे, वोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी या स्वापक आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (नियम बनाने को शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, उस सरकार के किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

76. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति– (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न लिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) वह पद्धति, जिसके द्वारा धारा 2 के खंड (v), खंड (vi) खंड (xiv) और खंड (xv) के प्रयोजनों के लिए द्रव निर्मितियों की दशा में प्रतिशतताओं का परिकलन किया जाएगा,

(ख) उस बन्धपत्र का प्रारूप, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सीय उपचार के लिए सिद्धदोष किसी व्यसनी व्यक्ति की निर्मुक्ति के लिए निष्पादित किया जाएगा और वह बन्धपत्र, जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् भर्त्सना के पष्चात् ऐसे सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपनी निर्मुक्ति के पूर्व निष्पादित किया जाएगा।

(घ) वह प्राधिकारी या व्यक्ति जिसके द्वारा और वह रीति जिससे भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त दस्तावेज धारा 66 के खंड (ii) के अधीन अधिप्रमाणित की जाएगी,

[(घक) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन धारा 68छ की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा सम्पत्तियों का प्रबंध किया जाएगा, .

(घख) धारा 68ढ की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें

(घग) के फीस जिनका संदाय फारा 68ण की उपधारा (6) के अधीन अपील अधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए या उनके किसी भाग की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए किया जाएगा,

(घघ) सिविल न्यायालय की शक्तियां जिनका प्रयोग धारा 68द के खंड (च) के अधीन सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा ,

(घङ.) इस अधिनियम के अधीन अधिहृत सभी वस्तुओं या चीजों का निपटारा,

(घच) नमूने लेना और ऐसे नमूनों का परीक्षण और विश्लेषण करा,

(घछ) अधिकारियों, भेदियों और अन्य व्यक्तियों को मदत्त किए जाने वाले पुरस्कार;

(ड़.) वे शर्तें जिनमें और वह रीति जिससे धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों और अन्य व्यक्तियों को चिकित्सा आवश्यकता के लिए स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का प्रदाय किया जा सकेगा,

(च) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सीापित केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षंण, शक्तियां और कर्तव्य,

(छ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन स्वाषक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और मनःप्रभावी पदार्थ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और उनको सदेय भत्ते तथा वे शर्तें और निर्बधन, जिनके रहते हुए कोई गैर सदस्य किसी उपसमिति में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाता है या विहित किया जाए।

77. नियमों और अधिसूचाओं को संसद के समक्ष रखा जाना–केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 2 के खंड (ii), धारा 3, धारा 27 के खंड (क) और उसके स्पष्टीकरण (1) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए या निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद, के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिर्वतन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। वह उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी किन्तु उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव

होने से उसके अधीन पहले की गई बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

78. नियम बनाने की राज्य सरकारी की शक्ति– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम लिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थातः–

(क) वे शर्तें जिनमें और वह रीति जिससे धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों और अन्य व्यक्तियों का चिकित्सीय आवष्यकता के लिए स्वाषक ओषधियों और मनःप्रभावों पदार्थों का प्रदाय किया जा सकेगा।

(ख) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रों की सीपना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां और कर्तव्य,

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस राज्य के विधान–मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

79. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का लागू होना– स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के भारत में आयात, भारत से निर्यात और निर्बधन सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित प्रतिशत और निर्बधन समझे जाएंगे और उस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे:

परन्तु जहां किसी बात का किया ज़ाना उस अधिनियम के अधीन और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है वहां उस अधिनियम में या इस धारा में की कोई बात अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दण्डित किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

80. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के लागू होने का वर्जित न होना– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

81. राज्य और विशेष विधियों की व्यावृत्ति– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों की कोई बात तत्सयम प्रवृत्त किसी ऐसे प्रांतीय अधिनियम की या किसी राज्य विधान–मण्डल के ऐसे अधिनियम की अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भारत के भीतर कैनेबिस के पौधे की खेती के लिए अथवा किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उपयोग या व्यापार पर कोई ऐसा निर्बधन अधिरोपित करता है या ऐसे किसी दष्ड का उपबन्ध करता है जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित या उप बन्धित नहीं किया गया है अथवा ऐसा निर्बधन अधिरोपित करता है या ऐसे दण्ड के लिए उपबन्ध करता है जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित तत्स्थानी निर्बधन या उपबंधित तत्स्थायी दण्ड से बड़ी कोटि का है।

82. निरसन और व्यावृत्ति–(1) अफीम अधिनियम 1857 (1857 का 13), अफीम (1978 का 1) का और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2) इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उपधारा (1) द्वारा निरस्ति किसी अधिनियमिति के अधीन की गई या किए जाने के तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थायी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

83. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति– (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्याविन्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रती हों:–

परन्तु ऐसी कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा,

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

क. सं.	अंतरराष्ट्रीय असांपत्तिक नाम	अन्य आसांपत्तिक नाम	रसायनिक नाम
1.	2	3	4
1.		डी.ई.टी. एन.एल.	डाइएबिल ट्रिप्टैमीन
2.		डी.एम.एच.पी.	3–(1,2 डाइमेथिल होप्टाइल) 1–हाइड्राक्सी–7, 8,9,10 टट्राहाइड्रो–6,6, 9–ट्राइमेथिल 6 एच. डाइबैंजो (बी.डी.) पाइरन
3.		डी.एम.टी.	डाइमेथिल ट्रिप्टैमीन
4.	(+)–लाइस र्जाइड	एल.एस.डी. एल–ए	(+) (एन.एन डाइएथिल लाइसमैर्जाइड डी–लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिल एमाइड)
5.		मेस्केलीन	3,4 5 ट्राइमेथआक्सीफनेथिल माइन
6.		पैराहक्सिल	3–हैक्सिल 1–हाइड्रॉक्सी 7,8,9, 10–टेट्राहाइड्रो 6,9–ट्राइमेथिल–6 एच.–डाइवैंजो (बी.डी.) पाइरन
7.	एटीसाइक्लीडाइन	पी.सी.ई.	एन–एबिल–1–फेनिल साइक्लोहक्सील मीन
8.	रोलीसाइक्ली–डाइन	पी.एच.पी. पी.सी.पी.वाई.	1–(1–फनिल–साइक्लो–हेक्सील) पाइरोलिडीन
9.		सइलोसाइन सइलोसाइन	3–(2–डाइमेथिल ऐनीनोएथिन)–4– हाइड्रॉक्सी इंडोल
10.	साइलोसाइबिन		3–(2–डाइमेथिल ऐमिनोंएथिल) इडौल–4–बाई एल–डाइहाइड्रोजन फास्फेट
11.		एस.टी.पी., डी.ओ.एम.	2–ऐमीनो–1–1 (2–5–डाइमेफोक्सी–4 मेथिल) फेनिलप्रौपेन
12.	टेनोसाइक्लीडीन	टी.सी.पी.	1–[1 (2–धाएनिल) साइक्लो होक्सल) पीपेरडीन
13.	टेट्राहाइड्रोकेनविनोल निम्नलिखित समाव्ययी और उनके त्रिविम रासायनिक रूपभेद		7,8,9,10–टैट्रहाइड्रो–6,6,9–ट्राइमैथिल–3–पैन्टिल –6 एच–डाइवैन्जो(बी,डी) पाइरन–1–01–(9 आर, 10ए आर)–8,9,10,10ए–टैट्रोहाइड्रो–6,6,5 9–ट्राइमैथिल–3–पैन्टिल–6–एच–डाइबैन्जो (बी,डी) पाइरन–1–01 (6ए आर, 10ए आर)–10ए आर)–6ए, 9,10,10ए– टैट्राहाइड्रो–6,6,9–ट्राइमैथिल–3–पैल्टिल–6–एच– डाइबैन्जो (बी.डी.) पाइरन–1–01 (6ए आर, 10ए आर)–6ए, 7,10,10ए– टैट्राहाइड्रो–6,6,9–ट्राइमैथिल–3–पैल्टि–6–एच–

		डाइबैन्जो (बी डी) पाइरन–1–01
		6ए 7,8,9– टैट्राहाइड्रो–6, 6, 9–ट्राइमैथल
		–3–पैल्टिल–6– एच–डाइबैन्जो (बी डी) पाइरन–1–01
		(6ए आर, 10ए आर)–6ए, 7,8,9,10,10ए–
		हैक्साहाइड्रो–6, 6–डाइमैथिल–9,
		मैथिलीन–3–पैल्टिन
		6एच–डाइबैन्जो (बी डी) पाइरन–1–10
14.	डी.ओ.बी.	2,5–डाइमेथाक्सी–4–ब्रोमोएम्फिटेमिन
15.	एम.डी.ए.	3,4–मेथिलीन डाइआक्सीएम्फटेमिन
16.	एुेटिमिन	(+)–2 एमीनो–1–फेनिल प्रोपेन
17.	डकसाम्फेटेमिन	(+)–2 एमिनो–1–फेनलप्रोपेन
18.	मेक्सोक्केलोन	3–(ओ–क्लोरोफेनिल)–2मेथिल 4–(3–एच)
		क्किनेजोलिनो
19.	मेथमफेटामिन	(+) 2–मेथिलेएमीनो–1 फेनिलप्रोपेन
20.	मेथाक्केलोन	2–मेथिल 3 औटौलिल–4 (3एच) क्किनेजेलिनोन
21.	मेथिलफेनिडेट	2–फेनिल 2 (2पिपेराइडिल) एसीटिक अम्ल
		मेथिल एस्टर
22.	फलसीक्लाइडीन पी.सी.पी.	1–(1–फेनिल साइक्लोहैक्सिल) पिपेराईडीन
23.	फेनमेट्राजीन	3–मेथिल–2–फेनिल मार्फोलीन
24.	अमोवार्बिटल	5–एथिल–5–(3–मेथिल ब्यूटिल) बार्बियूरिक अम्ल
25.	साइक्लोबार्बिटल	5–(1–साइक्लोहेक्सेन–1–बाई एल)–5
		एथिलबार्बिटयूरिक अम्ल
26.	ग्लूटिथिमाइड	2–एथिल–2–फेनिलग्लुटारिमाइड
27.	पैंटाजोसीन	1,2,3,4,5,6–हेक्साहाइड्रो–6, 11–डिमेथिल–
		3–(3–मेथिल–2–ब्यूटीनिल)–2, 6–मेथानो
28.	पैंटाबार्बिटल	5–एथिल–5–(1–मेथिल ब्यूटिल) बार्बिटयूरिक अम्ल
29.	सैंकोबार्बिटल	5–एलिल–5–(1–मेथिलब्यूटिल) बार्बियूरिक अम्ल
30.	अल्प्राजौलम	8–क्लोरी–1– मेथिल–6–फेनिल–4–एच–एस–
		ट्रायोजोलो [4,3ए] [1,4] बजौंडायाजेपिन
31.	अम्फेबामोन	2–डाइएथिल–एमिनों प्रोपियोफेनोन
32.	बार्बिटल	5,5–डाइएथिलबार्बिटयूरिक अम्ल
33.	बैंजफेटामिन	एनबेंजिल एन–ए–डाइमेथिल–फेनेथिलएमीन
34.	ब्रोमाजेपाम	7–ब्रोमो–1–3 डाइहाइड्रो–5–(2–पाईरीडिल)
		2–एच 1,4–ब्रेजोडायाजैपिन–2–वन
35.	कामाजेपाम	7–क्लौरी–1,3 ड्राइहाइड्रो 3–हाइड्रोक्सी–1–
		मेथिल–5–फेनिल 2 एच 1,4–बैंजोडाईजैपिम–2– वन
		डाइमेथिलकार्बमेट
36.	क्लोरोड्राइए जैपोक्साइड	7–क्लोरी–2, (मेथिल इमिनो) 5–फेनिल 3–एच–1
		4–बैंजोडायाजैपिन–4–आक्साइड
37.	क्लोबाजैम	7–क्लोरो–1–मेथिल–5–फेनिल–1 एच–1,5बेंजोडाया
		जैपिन–2,4 (3एच, 5एच, (डायोन
38	क्लोनाजेपास	5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1, 3 डाइहाइट्री–7–नाइट्रो
		2 एच–1, 4–बेंजो डायाजैपिन–2 वन
39.	क्लोराजेपेट	7–क्लोरी–2,3–डाइहाइड्रो–2 ऑक्सो–5–फेनिल–1
		एच–4–बेंजोडायाजेपिन–3–कार्बोआक्सीलिक अम्ल

40.	क्लोटियाजेपाम	5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–7–ऐथिल–1, 3–हाइहाइड्रो मेथिल थायेनी (2,3–ई)–1, 4–डायाजेपिन–2–वन
41.	क्लोक्साजोलम	10–क्लोरो–11बी (ओ–क्लोरोफेनिल)–2, 3, 7, 11 बी–टेट्राहाइड्रो–आक्साजोलो (3,2–डी) (1, 4) –बेंजोडायाजेपिन–6 (5 एच)–वन
42.	डोलोराजेपाम	7–क्लोरो–5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1, 3–डाइहाइड्रो–2एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
43.	डाइएजेपाम	7–क्लोरो–1, 3–हाइहाइड्रो–1–मेथिल–5–फेनिल–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
44.	एस्आलोजम	8–क्लोरो–6–फेनिल–4 एच–एस–ट्रायाजोलो [4,3 ए] [1,4] बेंजोडायाजेपिन
45.	एथ्कलोर्वीनोल	एथिल–2–क्लोरोविनिलएथिलनिल कार्बिनोल
46.	एथिनामेट	1–एथिनिलसाइक्लोएक्साइनोल कार्बामेट
47.	एथिल लोफ्लाजेपेट	एथिल 7–क्लोरो–5– (ओफ्लुओरेफेनिल)–2, 3–डाइहाइड्री–2 ओक्सो–1 एच–1,4–बेंजोडायाजेपिन 3–कार्बाक्सीलेट
48.	फ्लुडी एजैपाम	7–क्लोरी–5–(ओ–फ्लुओराफेनिल)–1, 3–डाईहाइड्रो 1–मेथिल–2–एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
49.	फ्लुनाइट्रोजेपाम	5–(ओ–फ्लुओरेफेनिल)–1, 3–हाइहाड्रो–1–मेथिल 7–नाइट्रो–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजैपिन–2–वन
50.	फ्लुराजैपाम	7–क्लोरी–1–[2–(डाइएथिल एमीनो) एथिल] 5–(ओ फ्लुओरोफेनिल)–1, 3–डाइहाइड्रो–2–एच– 1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
51.	हैलाजैपाम	7–क्लोरो–1, 3–डाइहाइड्रो–5–फेनिल–1– (2,2,2–ट्राइफ्लओरोएथिल)–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
52.	हैलोआक्सा जेलम	10–ब्रोमो–11 बी–(ओ–फ्लुओरोफेनिल)–2, 3,7 11 बी.–टेट्राहाइड्रो, आक्साजोल (3,2–डी–) (1,4) बेंजोडायाजेपिन–6 (5एच)–वन
53.	केटाजोलम	11–क्लोरो–8, 12बी–डाइहाइड्रो–2, 8–डाइमेथिल 12बी–फेनिल–4एच [1,3] –आक्साजिनों–(3,2–डी) (1,4), बेंजोडायाजेपिन–4, (6 एच) डाइ–वन
54.	लेफेटामिन	एस.पी.ए (–)–1 डाइमेथिल एमिनों–1,2–डाइफेनिलएथिन
55.	लोप्राजोलम	6–(ओ–क्लोराफेनिल)–2, 4–डाइहाइड्रो–2, [(4–मेथिल–1–पिपेराजिनिल) मेथिलिन] –8–नाइट्रो–1 एच–इमिडाजो [1,2, ओ] [1,4] वेंजोडायाजेपिन–1–वन
56.	लोराजेपाम	7–क्लोरो–5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1, 3–डाइ–हाइड्रो–3–हाइड्रोक्सी–2 एच–1, 4–वेंजोडया–जेपिन–2–वन
57.	लोर्मेटाजेपाम	7–क्लोरो–5–(ओ–क्लोरोफेनिल) 1,3–डाइहाइड्रो–3–हाइड्रोक्सी–1–मेथिल–2–एच– 1, 4–बेंजोडायोजेपिन–2–वन

58. मेजिनडोल 5–(पी–क्लोरोफेनिल)–2, 5–डाइहाइड्रो–3 एच–इमिडाजो (2, 1–x)
आइसोइन्डोल–5–ओ एल

59. मेडाजेपाम 7–क्लोरो–2, 3–डाइहाइड्रो–1–मेथिल 5–फेनिल– 1 एच–1,
4,–बेंजोडायाजेपिन

60. मेप्रोबेमेट 2–मेथिल–2–प्रापिल–1, 3–प्रोपेनडायल
डाइकाबेंमेट

61. मेथिलाफेनी बार्बिटल 5–एथिल–1, मेथिल–5–फेनिलवार्बिट्रिक अम्ल

62. मेथिप्राइलोन 3, 3–डाइएथिल–5–मेथिल–2, 4–पिपेडिन डाइओन

63. नाइमेटाजेपाम 1, 3–डाइहाइड्रो–1–मेथिल–7–नाइट्रो–5 फेनिल–
2–एच–1, 4 बेंजोडया जेपिन–2– वन

64. नाइट्रोजेपाम 1, 3–डाइहाइड्रो–7 नाइट्रो–5– फेनिल–2 एच–1,
4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन

65. नोरडाजेपाम 7–क्लोरो–1, 3–डाइहाइड्रो–5–फेनिल–1– (2 एच)–1,
4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन

66. आक्साजेपाम 7–क्लोरी–1, 3 डाइहाइड्रो–3, हाइड्राक्सी–5– फेनिल–2 एच–1,
4–बेंजोडायाजेपिन–2– वन

67. आक्साजोलम 10–क्लोरी–2, 3, 7, 11–बी–टट्राहाइड्रो–2–
मेथिल–11–बी–फेनिल–ओक्साजोलो [3, 2–डी] [1,4]
बेंजोडायाजेपिन 6 (5 एच–वन)

68. फेन्डिमेट्राजोन (+)–3, 4–डाइमेथिल 2– फेनिलमाफोलि

69. फेनीबार्बिटल 5–एथि–5–फेनिल बार्बिटयूरिक अम्ल

70. फेंटरमीन ए, ए–डाइमेथिल केनोथिल एमिन

71. पिनाजेपाम 7–क्लोरो–1, 3–हाइहाइड्रो–5– फेनिल– 1 प्रोपिनिल)–2–एच–1,
4–बेंजोडायाजोफि

72. पिप्राड्राल 1, 1–डाइफेनिल–1– (2–पिपरिडिल) में

73. प्राजेपाम 7–क्लोरो–1–(साइक्लोप्रोफिलमेथिल)
डाइ–हाइड्रो–5– फेनिल–2–एच–1–4), 4
ब्नजोडायाजेपिन–2–वन

74. टेमपाजेपाम 7–क्लोरो–1, 3–डाइहाइड्रो–3–हाइड्राक्स मेथिल–5– फेनिल–2–एच– 1,
4– बेंजोडायाजेपिन–2–वन

75. टेट्राजेपाम 7–क्लोरो–5–(साइक्लो–हेक्सिन–1–वाई
3–डाइहाइड्रो–1– मेथिल–2,1–एच
1,4 बेंजोडायाजेपिन 2–वन)

76. ट्रियाजोलाम 8–क्लोरो–6–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1– में एच–एस–ट्रियाजोलो (1,3–ए] [1,4]
बेंजोडायाजेपिन

77. केथिनोन (–)–(s)–(2)–एमिनोप्रोपियोफिनोन

78. डी.एम.ए. (+)–2, 5– डाइमेंथोक्सी–ए–मेथिल फेलमाइन

79. डी.ओ.ई.टी. (+)–4–ईथिल–2, 5–हाइमेथोक्सी–ए–

80. एम.डी.एम.ए. (+)–एन, –ए–डाइमेथिल–3, 4– (मेथिडायोक्सी)
फेनिथाइलेमाइन

81.	4–मेथिल–माइनोरक्स	(+)–सीआईएम–2–एमिनो–4–मेथिलनिल–2–ओक्साजोलिन
82.	एम.एम.डी.ए.	2–मेथोक्सी–ए–मेथिल–4, 5–(मेथिलइयोक्सी) फेनेथाइलेमाइन
83.	एन–इथिल एम.डी.एन.	(+)–एन–एथिल–ए–मेथिल–3, 4–(मेथिलएनेड इयोक्सी) फेनेथाइलेमाइड
84.	एन–हाइड्रेक्सी एम.डी.ए.	(+)–एन–(ए–मेथिल–3, 4– (मेथिल एनेडायोक्सी) फेनेथाइलेमाइन
85.	पी.एम.ए.	पी–मेथोक्सी–ए–मेथिलफैनेथाइलेन
86.	टी.एम.ए.	(+)–3, 4, 5–ट्राइमेथाक्सी–ए–मेथिलफैनेयाइलेमाइन
87	फेनेटीलिन	7– [2–] –ए–मेथिलफेनेथिल) (एमिनो) एथिल] थियोफाइलिन
88.	लेवामफैटेमाइन लेवामफैटेमाइन	(–)– (आर)–ए–मेथिलफेनेथाइलेमाइन
89.	लैवोमेथपेटामाइन	(–)–एन, ए–माइमेथिल फेनथाइलेमाइन
90.	मैटाफैटेमाइरेसमैट मैटाफैटेमाइन रेसमैंट	(+)–एन, ए–डाइमेथिलफेन थाइलेमाइन
91.	डेल्टा–9–टेट्रा हाइड्रोकेन–बिनोल और उसके त्रिविध रसायनिक रूपभेद	(6–एआर, 10 ए आर)–6ए, 7, 10ए–टेट्राहाइड्रो–6, 6, 9, ड्राइमेथिल–3–पैल्टिल 6एच–डाइबेन्जो (बी,डी) पाइरन–1–01
92.	ब्यूप्रेनोरफिन	21–साइक्लोप्रोपिल–7क– ()–1–हाइड्रोक्सी–1,2,2–ट्राइमेथिल–प्रोपाइल–6, 14–एन्डो इथानो–6, 7, 8, 14–टेट्राहाइड्रोरिफेबाइन
93.	ब्यूटलबिटल	5–एलिल–5–आइसोब्यूटलबारटयूरिक अम्ल
94.	कैथिन	(+) नोर्परस्वेडो एफेड्रिन (+)– (आर)–ए–[(आर)–1– एमिनोएथिल] बैंजिल एल्कोहल
95.	एलोबारबिटल	5,5–डियाली वारबिटयूरिक अम्ल
96.	एटिलमफैटेमाइन एन–एथिलम–फैटेमाइन	एन–एथिल–ए–मैथिलफेनेथेलेमाइन
97.	फेनकम फेनिन	एन–एथिल–3–फेनिल–2–नोरबोरननमाइन
98.	फेनप्रोपेरेक्स	(+)–3–[ए–मेथिलफेनेथिल एमिनो] प्रोपियोनिट्रायल
99.	मैफेनोरक्स	एन–(3–क्लोरोप्रोपाइन)–ए मेथिलफेनेथाइलेमाइन
100.	मिडाजोलम	8–क्लोरो–6–(0–फ्लूरोफेनिल)–1–मेथिल 4एच–इमिडाजो (1,5–ए) (1,4) बेन्जोडियाजेपिन
101.	पेमोलिन	2–एमिनो–5–फेनिल–2–ओक्साजोलिन–4–1 (2–एमिनो–5–फेनिल–4–ओक्साजालिडाइनोन)
102.	पाइरोवेलेरोन	4–मैथिल–2–(1–पाइरोलिडाइनिल) वेलेरोफिनोन
103.	सेक्यूटाबारबिटल	5–सैक–ब्यूटिल–5–एथिलबारबिटयूरिक अम्ल
104.	वाइनिलबिटल	5–(1–मेथिलब्यूटिल)–5–वाइनिल

		बारसिटयूरिक अम्ल
105.	ब्यूटोवारबिल	5–ब्यूटिल–5–एथिलबारबिटयूरिक अम्ल]
105–क	एट्रिप्आमाइन	(3–2–एमिनो ब्यूटिल इंडोल)
105–ख	मेथकैथिनोन	(2–मेथिल एमिनो–फे निलप्रोपान–1–वन)
105–ग	जिप्रेप्रोल	(एल्फा– (एल्फा–मैथेवसीनेंजिल)–4 (बीटा मेथोक्सी फेनेथिल)–1 पिंपराजीन एथानोल,
105–घ	एमिनोरेक्स	(2–एमिने–5–फेनिल–2–ओक्साजोलिन
105–ड.	ब्रोटीजोलम	(2–ब्रोमो–4–)ओ–क्लोरोफेनिल)–0– मैथिल–थीनो (–3,2–एफ–)–एस– ट्रिथाजोली–4, 3–ए) डियाजेपीन)
105–च	मेसोकार्ब	(3–(एल्फा–मैथिलफिनेथिल–एन– फैनिलकावौमोइल) सिडनोन इमीन) 5–ब्यूटिल–5–एथिल बारबीट्यूटिक अम्ल)
106. लवण और उपरोक्त की विनिर्मितियां		

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14, नवम्बर, 1985

अधिसूचनाएं

1.का.आ. 821 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 नवम्बर, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम पूर्ण भारत में प्रवृत्त होगा।

2.का. आ. 822 (अ) केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उपधारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वापक विभाग के उपनिरीक्षक की रैंक और उससे ऊपर तथा

केन्द्रीय उत्पादशुल्क, सीमा–शुल्क, और राजस्व सूचना विभागों में और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों में निरीक्षण की रैंक और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को उनकी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर धारा 42 में विनिदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अुनपालन करने के लिए सशक्त करती है, तथा उक्त अधिकारियों को धारा 67 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है।

3.का.आ. 823 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के पष्चात, केन्द्रीय उत्पादशुल्क स्वापक, सीमाशुल्क और राजस्व आसूचना विभागों के तथा केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के निरीक्षक की रैंक के और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों में उस धारा की उपधारा (1) में विनिदिष्ट शक्तियां विनिहित करती है।

4.का. आ. 824 (अ) केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क और राजस्व आसूचना के तथा सीमा सुरक्षाबल और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों का, जो अधीक्षण की रैंक के और उससे ऊपर की रैंक के हैं (जो राजपत्रित रैंक के अधिकारी है तथा कार्यपालक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं), उनकी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उक्त धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है।

5.का.आ. 825 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 27 के स्पष्टीकरण (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिदिष्ट करती है कि उस धारा के प्रयोजनों के लिए स्वापक ओषधियों मनःप्रभावी पदार्थ की "छोटी मात्रा" ऐसी औषधि या पदार्थ ऐसी मात्रा होगी जो प्रत्येक मामले में सम्बंधित जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

6.केन्द्रीय सरकार ने का.आ. 826 (अ) द्वारा इस अधिसूचना में उल्लिखित स्वापक पदार्थों और निमिर्तियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावीय पदार्थ अधिनियम, 1985

(1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (xi) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "विनिर्मिति ओषधि" घोषित किया है।

7. का.आ. 827 (अ)—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 27 के स्पष्टीकरण (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का0 आ0 825 (अं), तारीख 14 नवम्बर, 1985 को आंषिक रूप में उपांतरित करते हुए सारणी के सतम्भ (2) में उल्लिखित स्वापक ओषधि के सम्बंध में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तत्सम्बंधी मात्रा को उस धारा के प्रयोजनों के लिए "छोटी मात्रा" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

सारणी

कम संख्या	स्वापक औषधि का नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)
1.	हेरोइन या वह औषधि जो सामान्यतया ब्राउन शुगर या स्मैक के नाम से ज्ञात है	250 मिलीग्राम
2.	हशीश या चरस	5 ग्राम
3.	अफीम	5 ग्राम
4.	कोकेन	125 मिलीग्राम
5.	गांजा	500 ग्राम

नोटः— अधिसूचनाएं सख्या 82 (अ) से 827 (अ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 (ii) दिनांक 14.11.85 में प्रकाशित हुई है।

8. कार्मिक, लोक शिकायत **तथा पेन्शन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 1986**

का. आ. 3488— केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन—प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 61) की धारा 42 की उपधारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सी.आई.यू. (स्वापक औषधि) में पुलिस निरीक्षक और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अपनी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर, धारा 42 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों

का पालन करने के लिए सशक्त करती है तथा उक्त अधिकारियों को धारा 67 के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, भी प्राधिकृत करती है।

9. का.आ. 3489—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 61) की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त ष्क्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अधीक्षक दिल्ली विशेष पुलिस सीापन सी.आई.यू. (स्वापक औषधि) को उसकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उस धारा की उपधारा (2) में विनिदिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है।

दिनांक 1 नवम्बर, 1986

10 का.आ.: 3776—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनिय, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उपधारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का0आ0 822 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

अर्थात्—

" उक्त अधिसूचना में "आसूचना ब्यूरो" शब्दों के पश्चात् और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" शब्द अतः सीापित किए जायेंगे।

11. का.आ. 3777—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के पष्चात् भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधसूचना संख्या, का0आ0 823 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखत संशोधन करती है, अर्थात् "उक्त अधिसूचना में "आसूचना ब्यूरो" शब्दों के पश्चात्" और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" अन्तःस्थापित किए जायेंगे।

12 का.आ. 3778–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या आ. का. 824 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्–

''उक्त अधिसूचना में ''आसूचना ब्यूरो'' शब्दों के पष्चात् और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' शब्द अन्तः सीापित किए जाएंगे।''

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 29 मई, 1989

13, का आ. 379 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 मई, 1989 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिसको उक्त अधिनियम समस्त भारत में प्रवृत्त होगाः

का.आ. 380 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 7क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक निधि का गठन करती है जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि कहलायेगी।

14. का.आ. 381 (अ)– केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, उनकी परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए मेघता समुचित भंडारण स्थान के प्रतिस्थापन और प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्

1. स्वापक औषधियां

(i) अफीम,
(ii) मार्फीन,
(iii) हीरोइन,
(iv) गांजा
(v) हशीश,
(vi) कोडीन,
(vii) थिबनीन,
(viii) कोकेन,
(ix) पोस्त तृण, और
(x) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xi) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्य विनिर्मित औषधि।
2. मनःप्रभावी पदार्थ,
(i) मैथा क्वालोन,
(ii) टी. एच. सी,
(iii) एम फेटामिन, और
(iv) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xxiii) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्य मनःप्रभावी पदार्थ

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
नई दिल्ली, 30 मई, 1989

15. का.आ.– 389 (अ) केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मई, 1989 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिससे चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती के विरुद्ध प्रतिशेध प्रभावी होगा।

का.आ. 390 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 की 61) की धारा 8 के पहले परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 दिसम्बर, 1989 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिससे चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के

उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, कय, विकय, परिवहन, भाण्डागारण, अर्न्तराज्यय आयात और अर्न्तराज्य निर्यात के विरूद्ध प्रतिषेधा प्रभावी होगा।

भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II खण्ड–3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 27 सितम्बर, 1989

16. का.आ. 763 (अ)–स्वापक औषध द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) की धारा 36क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्–द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नारकोटिक्स राजस्व आसूचना, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों तथा नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के विभागों में निरीक्षक के स्तर के अधिकारियों तथा उनसे ऊंचे रैंक के अधिकारियों को उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध के सम्बंध में विषेष न्यायालय के समक्ष शिकायतें दायर करने के लिए प्राधिकृत करती है,

भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक दिसम्बर 26, 1985 के भाग II खण्ड–3– उपखण्ड (ii) में प्रकाशित

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1985

का.आ. 912 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 34 और 39 के साथ पठित धारा 76 द्वारा, प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (सिद्धदोष या व्यसनियों द्वारा बन्धपत्र निष्पादन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धारा 34 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले बन्धपत्र का प्रारूप–

कभी किसी व्यक्ति को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पष्चात् अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 4 के किसी उपबन्ध के अधीन

दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तब बन्धपत्र का प्रारूप जिसे कोई न्यायालय अधिनियम की धारा 34 के अधीन उसके द्वारा निष्पादित किए जाने की अपेक्षा करेगा, इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 1 के रूप में होगा।

3. धारा 39 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले बन्धपत्रों के प्रारूप– (1) जब स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का व्यसनी कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 27 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और न्यायालय निदेष करता है कि ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बन्धपत्र निष्पादित किए जाने पर, चिकित्सीय उपचार के लिए छोड़ दिया जाए तो ऐसे बन्धपत्र का प्रारूप इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 2 के रूप में होगा।

(2) जब अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन निराविषीकरण या निराव्यसन का चिकित्सीय उपचार कराने के लिए छोड़े गए किसी व्यक्ति से न्यायालय द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के धनीय उसके छोड़े जाने से पूर्व बन्धपत्र निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे बन्धपत्र का प्रारूप इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 3 के रूप में होगा।

प्रारूप–1

(नियम 2 देखिये)

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए बन्धपत्र

मुझ से (नाम   ) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जो (स्थान) .... का ही निवासी है, अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए .... की अवधि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई है। अतः मैं उक्त अवधि के दौरान ऐसा कोई अपराध न करने के लिए स्वयं को सम्बद्ध करता हूं और इसमें मेरे द्वारा कोई व्यक्तिक्रम किए जाने की दषा में, मै .... रुपए की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तारीख   हस्ताखर

जहां प्रतिभूतियों सहित निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की जाए वहां यह जाने।

ळम ऊपर नामित .... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह (   ) उक्त अवधि के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी और इसमें उसके द्वारा कोई व्यतिक्रम किए जाने की दषा में, हम संयुक्त और अलग–अलग रूप में स्वयं को .... रुपए के रकम सरकार को समपहृत किए जाने के लिए आबद्ध करते हैं।

तारीख   हस्ताक्षर

प्रारूप–2

[नियम 3 (i) देखिए]

निराविशीकरण/निराव्यसन चिकित्सीय उपचार के पष्चात् न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए बन्धपत्र।

मैंने, (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जो .... का निवासी है निराविनीकरण निराव्यसन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए सम्मति दे दी है और तारीख .... से पहले न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने और मेरे चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अभ्यंतर काल में अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने की मुझ से अपेक्षा की गई है। अतः मैं ऐसा करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तारीख ....   हस्ताक्षर

जहां प्रतिभूतियों सहित बन्धपत्र निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की गई वहां जोड़िए)

हम ऊपर नामित .... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं।

यह कि यह (पुरुष/स्त्री) तारीख .... से पहले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा/होगी और अपने चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अभ्यंतरकाल में उक्त अवधि के दौरान वह (पुरुष/स्त्री) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी और इसमें उसके दौरान कोई व्यतिक्रम किए जाने की दषा में हम .... रुपए की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को संयुक्त और अलग–अलग रूप से आबद्ध करते हैं।

तारीख   हस्ताक्षर

प्रारूप–3

[नियम 3 (i) देखिए]

निराविशीकरण/निराव्यसन चिकित्सीय उपचार के पष्चात् न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने के प्रविरत रहने के लिए बन्धपत्र।

मैंने, (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जो

.... का निवासी है निराविीकरण/निराव्यसन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए सम्माति दे दी है और तारीख .... से पहले न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने और मेरे चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अभ्यंतर काल में अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने की मुझ से अपेक्षा की गई है। अतः मै। ऐसा करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं और इसमें कोई व्यतिक्रम किए जाने की दषा में मैं .... रुप्ए की रकम सरकार को समहृत किए जाने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तारीख .... हस्ताक्षर

जहां प्रतिभूतियों सहित बन्धपत्र निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की गई वहां जोड़िए)

हम ऊपर नामित .... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं। यह कि यह (पुरुष/स्त्री) तारीख .... से पहले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। होगी और अपने चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अभ्यंतरकाल में उक्त अवधि के दौरान वह (पुरुष/स्त्री) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी, और इसमें उसके दौरान कोई व्यतिक्रम किए जाने की

दषा में हम .... रुप्ए की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को संयुक्त अलग–अलग रू॰ से आबद्ध करते हैं।

तारीख हस्ताक्षर

प्रारूप–

[देखिए नियम 3 (2)]

न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय–4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने और इस प्रकार प्रविरत रहने में असफल होने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और ऐसी अवधि के दौरान अपेक्षा की जाने पर दण्डादेष प्राप्त के लिए बन्धपत्र ....

....

मुझसे, (नाम ....) पुत्र/पुत्री/पत्नी .... जो .... का निवासी हूं, ... अवधि के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अध्याय–4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए एक बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई है और मैं उक्त अवधि के दौरान कोई ऐसा अपराध न करने के लिए स्वयं आबद्ध करता हूं और इस में मेरे द्वारा कोई व्यतिक्रम किए जाने की दषा में मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और उक्त अवधि के दौरान अपेक्षा की जाने पर दंडादेष, पाने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं। मेरे द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दषा में मैं ....रु. की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तरीख .... 19 हस्ताक्षर

(जहां प्रतिभूति सहित बन्ध–पत्र निष्पादित किया जाना है, वहां जोड़िए)

हम ऊपर नमाति .... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह (स्त्री/पुरुष) उक्त अवधि के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी और

उसके ऐसे प्रविरत रहने में असफल रहने पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा/होगी और उक्त अवधि के दौरान अपेक्षा की जाने पर दण्डादेष प्राप्त करेगा/करेगी और इसमें उसके द्वारा व्यतिकम किए जाने की दशा में हम संयुक्त और अलग–अलग रूप में .... रु. की राशि सरकार को समपहृत किए जाने के लिए आबद्ध करते हैं।

तारीख .... 1985 हस्ताक्षर

[अधिसूचना सं. 13/85 फा.सं. 664/51/85–अफीम]

उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1985

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) की धारा 78 साथ पठित धारा 10 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 656–ई/तेरह–275–(2)/59, दिनांक 17 अगस्त, 1961 के अधीन प्रकाषित यू.पी. ओपियम रूलस, 1962, सरकारी अधिसूचना संख्या 5890–ई/तेरह–275 (2)/59 दिनांक 29 दिसम्बर, 1961 के अधीन प्रकाशित यू.पी. डेन्जरस ड्रग्स, रूल्स 1961, सरकारी अधिसूचना संख्या 3712–ई/तरेह–275 (4)/59, दिनांक 22 जून, 1961 के अधीन प्रकाषित उत्तर प्रदेष पोपीहेड रुल्स 1961 और सरकारी अधिसूचना संख्या 337–ई/तेरह–95, दिनांक 11 जुलाई, 1935 के अधीन प्रकाशित यू.पी. ओपियम स्मोकिंग रूलस, 1935 का अतिक्रमण करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम. विस्तार और प्रारम्भ–** (1) यह नियमावल उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986, कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं– जब तक विषय या सन्दर्भ में, कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,–

3. (एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) से है,

(दो) ''अनुमोदित व्यवसायी'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है:–

(क) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, या

(ख) सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना सेवा की सक्रिय सूची के चिकित्सा अधिकारी या

(ग) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सक, या

(घ) भारत में तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधन रजिस्ट्रीकृत ष्पषुषल्य चिकित्सक।

(तीन) ''कलेक्टर'' का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रषासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत इस नियमावल के अधीन कलेक्टर के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए सरकार द्वारा सषक्त कोई अन्य अधिकारी भी है,

(चार) '' जिला आबकारी अधिकारी'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति से या ऐसे किसी अधिकारी से है कलेक्टर ने धारा 10 की उक्त उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन अपनी ष्क्ति प्रत्यायोजित की हो,

(पांच) '' आबकारी'' आयुक्त'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन आबकारी आयुक्त की समस्त या किन्हीं ष्क्तियों का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विषेष रूप से प्राधिकत कोई अन्य अधिकारी भी है।

(छः) ''निर्यात'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेष के बाहर भारत में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ले जाने से है,

(सात) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(आठ) ''आबकारी विभाग के राजपत्रित अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य आबकारी विभाग (दस) '' आयात'' का तात्पर्य भारत में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से उत्तर प्रदेष राज्य में लाने से है,

(ग्यारह) ''लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने स्वापक औषधियों को अपने कब्जे में रखने और उसे नुसखे पर जनता को यह अनुमोदित व्यवसायियों को बिकी के लिए इस नियमावली के अधीन प्रपत्र स्वापक ओषधि लाइसेंस रसायन (फार्म एन.डी. एल. सी.) में लाइसेंस प्राप्त किया हों,

(बारह) ''लाइसेंस प्राप्त व्यापारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने–

(क) ऐसी सामग्रियों से जिसे वह रखने के लिये विधिपूर्वक हकदार है, औषधीय अफीम या किसी निर्मिति के जिसमें अफीम, मार्फीन और कोडेइन और उनके लवण हों, विनिर्माण के लिए और अधिनियम की धारा 2 खंड (ग्यारह) के उपखंड (ख) के अधीन अधिसूचित ऐसी अन्य विनिर्मित औषधियों के लिये, और

(ख) उपर्युक्त (क) में यथा निर्दिष्ट विनिर्मित औषधियों को कब्जे में रखने और नुसखे से भिन्न विकी करने के लिये,

इस नियमावली के अधीन प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेन्स व्यापारी (फार्म एन. डी. एल. डी.) में लाइसेंस प्राप्त कर किया हो,

(तेरह) ''चिकित्सा बोर्ड'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन सरकार द्वारा प्रत्येक मंडलीय मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर गठित चिकित्सा बोर्ड से है,

(चौदह) ''नुसखा'' का तात्पर्य इस नियमावली के अनुसार निर्मित अफीम से भिन्न किसी स्वापक औषधि के सम्भरण के लिये किसी अनुमोदित व्यवसायी द्वारा दिये गये लिखित नुसखा से है,

(पन्द्रह) ''सांपत्तिक औषधि'' का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1940) में उसके लिये दिया गया है,

(सोलह) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेष राज्य से है,

(सत्रह) ''परिवहन'' का तात्पर्य राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने से है।

अध्याय–दो

विनिर्माण

3.विनिर्मित औषधि का प्रतिशेध–कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन, सिवाय स्वीकृत लाइसेंस की षर्तोंके अनुसार, विनिर्मित औषधि के उत्पादन या विनिर्माण के कार्य में नहीं लगेगा।

4. **लाइसेन्स के अधीन विनिर्मित औषधि का विनिर्माण**–कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी अपने लाइसेन्स की षर्तोंके अधीन रहते हुए, किसी विनिर्मित औषधि का विनिर्माण कर सकता है।

अध्याय –तीन

कब्जे में रखना और बिक्री

5. **लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ अनुमोदित व्यवसायी द्वारा बिक्री**– कोई लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ या अनुमोदित व्यवसायी सिवाय नुसखे पर और अपने लाइसेंस की षर्तों के अनुसार विनिर्मित औषधियों को नहीं देगा।

6. **किसी व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखना**– कोई व्यक्ति, विनिर्मित औषधि की ऐसी मात्रा के सिवाय, जितनी एक बार नियम 5 के उपबन्धों के या भारत के किसी भाग में जहां से उत्तर प्रदेष राज्य में आयात या जहां को निर्यात अनुज्ञात हो, में तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार नुसखे पर दी गयी हो या बेची गयी हो, कब्जे में नहीं रखेगा।

7. **किसी अनुमोदित व्यवसायों द्वारा कब्जे में रखना**– (1) कोई अनुमोदित व्यवसायी बिक्री के प्रयोजनार्थ, किसी विनिर्मित औषधि की कोई भी मात्रा अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

परन्तु ऐसा व्यवसायी अपने व्यवसायों (प्रैक्टिस) में उपयोग के लिये औषधि या इन्जेक्षनों के रूप में दस ग्राम तक विनिर्मित औषधियों रख सकता है:

परन्तु यह और कि कलेक्टर, विषेष आदेष द्वारा ऐसे व्यवसायी को ऐसी औषधियों को अधिक मात्रा में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(2) कोई अनुमोदित व्यवसायी, विक्री के प्रयोजनार्थ कोकेन व्युत्पत्तियों की कोई भी मात्रा कब्जे में नहीं रखेगाः

परन्तु ऐसी व्यवसायी, कलेक्टर द्वारा इस निमित स्वीकृत विषेष अनुज्ञा–पत्र के अधीन ऐसे प्रपत्र में जैसा आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाए, अपने व्यवसाय में उपयोग के लिए कोई विनिर्मित औषधि रख सकता है जिसमें कुल उतनी मात्रा में कोकेन हो जितनी इस निमित प्राधिकृत की जाय।

8. **अस्पतालों आदि द्वारा विनिर्मित औषधियों का रखा जाना**– (1) सरकार (जिसके अन्तर्गत रेलवे भी है) या किसी सीानीय निकाय या अन्य निकायों द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल, औषधालय परिचर्या गृह (नर्सिग होम) या चिकित्सा संस्था का कोई प्रभारी अनुमोदित व्यवसायी ऐसे अस्पताल, औषधालय, परिचर्या–गृह या चिकित्सा संस्था में उपयोग के लिये कलेक्टर द्वारा स्वीकृत सीमा तक विनिर्मित औषधियां रख सकता है।

(2) उत्तर प्रदेष में किसी स्थान पर उतरने वाले किसी वायुयान का चालन 15 मिली–ग्राम मार्फीन इंजेक्षन के 20 एम्पुल तक विनिर्मित औषधियां रख सकता है।

9. **अनुमोदित व्यवसायी द्वारा लेखा रखना**–इस नियमावली के अधीन विनिर्मित औषधियां रखने वाला कोई अनुमोदित व्यवसायी–

(क) समय–समय पर अपने द्वारा प्राप्त प्रयुक्त या स्टाक में घृत विनिर्मित औषधि का लेखा इस नियमावली के अधीन प्रपत्र ''क'' में रजिस्टर में रखेगा। लेखा जिल्दबद्ध रजिस्टर में प्रतिदिन स्पष्टतया और ठीक प्रकार से लिखा जाएगा, उस पर पृष्ठ संख्या डाली जायेगी और कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मुहर लगायी जाएगी और उसमें क्रय के प्रत्येक मामले में, क्रय का दिनांक और उस व्यक्ति या फर्म का नाम और पता जिससे क्रय किया हो, लिखा जाएगा।

(ख) लेखा बही में अंतिम प्रविष्टि के दिनांक से कम से कम दो वर्ष तक उक्त लेखा को परिरक्षित रखेगा और उनहें ऐसे किसी विनिर्मित औषधि के साथ–साथ जो निरीक्षण के समय उसके कब्जे में हों, कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेगा, और

(ग) कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के अन्त के पष्चात् एक सप्ताह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिमित औषधियों के कय और उपभोग, उसके द्वारा वर्ष के अन्तिम दिनांक को धृत विनिर्मित औषधियों के स्टाक, से सम्बन्धित सूचना कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिये विहित प्रपत्र में देगा।

10. **लाइसेंसधारियों द्वारा कब्जे में रखना–** विनिर्मित औषधियों का कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ सिवाय ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से जैसी उसके लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट की जाय, विनिर्मित औषधि कब्जे में नहीं रखेगा।

11. **लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा बिक्री–** (1) विनिर्मित औषधि का कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी अपने लाइसेंस की षर्तोंके अधीन रहते हुए नुसखे से भिन्न प्रकार से विनिर्मित औषधियों को बेच सकता है।

(2) वह अपने द्वारा की गयी प्रत्येक बिकी का लिखित अभिलेख रखेगा। अभिलेख उसके लाइसेंस में निर्धारित प्रपत्र में और रीति, से यदि कोइ हो, रखा जाएगा। यदि ऐसा कोई प्रपत्र और रीति निर्धारित न हो तो ऐसी रीति से, जैसा आबकारी आयुक्त समय–समय पर निदेष दें। अभिलेख उसमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक से कम से कम दो वर्ष तक के लिये परिरक्षित रखा जाएगा।

12– **लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ द्वारा बिक्री**–कोई लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ, सिवाय नुसखें पर और अपने लाइसेंस की षर्तोंके अधीन रहते हुए, विनिर्मित औषधियां नहीं बेचेगा।

13– सरकारी अभिकरण को बिक्री– इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, कोई लाइसेन्सधारी जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो, सरकार को या ऐसे अधिकारी को जो सरकार द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो, कोई विनिर्मित औषधि बेचेगा। लाइसेंस–धारक ऐसे अधिकारी से रसदी प्राप्त करेगा और उसे अपने अभिलेख में रखेगा।

14. नुसखे से सम्बंधित षर्तें– विनिर्मित औषधियों (तैयार की गयी अफीम से भिन्न) के सम्भरण के लिये कोई नुसखा किसी अनुमोदित व्यवसायी द्वारा सिवाय निम्नलिखित षर्तोंके नहीं दिया जाएगाः–

(क) नुसखा लिखित होगा, दिनांकित होगा और उस पर अनुमोदित व्यबसायी द्वारा अपना पूरा नाम और पता और अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या लिखकर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसमें उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे और उस रोग की प्रकृति जिसके लिए नुसखा दिया जाय, उपयोग के लिये निदेष और नुसखें पर सम्भरित की जाने वाली औषधि की कुल मात्रा विनिर्दिष्ट होगी। परन्तु जहां नुसखें पर सम्भरित की जाने वाली औषधि की कुल मात्रा विनिर्दिष्ट होगी। परन्तु जहां नुसखें पर दी जाने वाली औषधि साम्पत्तिक औषधि हो वहां सम्भारित की जाने वाली औषधि की मात्रा का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। जब इस प्रकार की विनिर्मित औषधि की खुराक सामान्य खुराक से अधिक मात्रा में नियत की जाय, तब उस खुराक की मात्रा को रेखांकित करके स्पष्ट किया जायेगा और उसके सम्मुख पार्ष्व में व्यवसायी का लघु हस्ताक्षर होगा,

(ख) नुसखा स्वयं विहितकर्ता के उपयोग के लिए नहीं दिया जायेगा,

(ग) कोई रजिष्ट्रीकृत दन्त चिकित्सक केवल दांत के उपचार के प्रयोजन के लिप नुसखा देगा, और उसको ''केवल सीानीय दन्त उपचार के लिये'' चिन्हांकित करेगा, और

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत पषु ष्षल्य चिकित्सक केवल पषुओं के उपचार के प्रयोजन के लिए नुसखा देगा और उसे ''केवल पषु उपचार के लिए'' चिन्हांकित करेगा।

अध्याय चार

लेखा

15. लेखा रखना– इस नियमावली के अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित लेखा और अभिलेखों के अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त आदेष द्वारा, ऐसे अभिलेख को ऐसे प्रपत्र में रखने का और ऐसी विवरणियों को प्रस्तुत करने का जिन्हें वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ आवष्यक समझे, निदेष दे सकता है।

अध्याय पांच

प्राधिकार लाइसेंस और अनुज्ञा–पत्र

16. वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये रखा जाना– कलक्टर, आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से, विषेष आदेष द्वारा, किसी षिक्षा संस्था के प्रभारी या वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे किसी व्यक्ति को केवल षैक्षिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जैसी उसके द्वारा उस आदेष में विनिदिष्ट की जाय, विनिर्मित औषधि को रखने और उसका परिवहन करने का प्राधिकार दे सकता है।

17. विनिर्माण और रसायन का लाइसेंस– (1) व्यापारी का लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेंस–व्यापारी (फार्म एन.डी. एल. डी.) में 200 रुप्ये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस देने पर स्वीकृत किया जाएगा जिसमें इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस की षर्तोंके अधीन रहते हुए, विनिर्मित औषधि को विनिर्मित करने और/या कब्जे में रखने और बेचने के लिये अनुज्ञा दी जायेगी। विनिर्मित औषधि का विनिर्माण करने के लिये प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेंस–व्यापारी में लाइसेंस औषधीय और प्रसाधन प्रपत्र लाइसेंस–1 (एल–1) या लाइसेंस–2 (एल–2) में लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।

(2) रसायनज्ञ का लाइसेंस कलक्टर द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेंस–रसायनज्ञ (फार्म एन. डी. एल. सी.) में 100 रुप्ये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस देने पर दिया जायेगा जिसमें इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस की

षर्तोंके अधीन रहते हुए, विनिर्मित औषधि को रखने और उसे बेचने की अनुज्ञा दी जायेगी।

18. अनुज्ञान्पत्र के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा परिवहन–(1) कलेक्टर किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ को अनुज्ञा–पत्र में यथा विनिर्दिष्ट विनिर्मित औषधियों का परिवहन करने के लिये इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि परिवहन (फार्म एन. डी. टी) में अनुज्ञा–पत्र दे सकता है।

(2) उपनियब (1) के अधीन अनुज्ञा–पत्र देते समय, कलेक्टर अनुज्ञा–पत्र को चार प्रतियों में तैयार करेगा। वह अनुज्ञा–पत्र की प्रथम प्रति लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ को देगा, द्वितीय प्रति उस जिले के कलेक्टर को जहां से परिवहन किया जाना हो, भेजेगा, तृतीय प्रति उस व्यापारी को भेजेगा जिससे क्रय किया जाना हो, और अनुज्ञा–पत्र की चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिए रखेगा।

19. लाइसेंस या अनुज्ञापत्र का रद्द किया जाना या निलम्बन– (1) वह अधिकारी, जिसने कोई लाइसेंस या अनुज्ञापत्र दिया हो या आदेष द्वारा इस नियमावली के अधीन कोई कार्य करने के लिये अनुमोदित या प्राधिकृत किया हो, ऐसे व्यक्ति को यह कारण बताने का अवसर देने के पष्चात् कि क्यों न ऐसा आदेष दिया जाए, लिखित आदेष द्वारा जिसमें उसके कारण उल्लिखित होंगे, ऐसे लाइसेंस, अनुज्ञा–पत्र या आदेष को रद्द कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिये जैसा वह उचित समझे, या तो पूर्णतः या अंषतः निलम्बित कर सकता है, यदि उसकी राय में,

(क) ऐसे व्यक्ति ने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपने द्वारा देय षुल्क या फीस का भुगतान करने में चूक की हो, या

(ख) ऐसे व्यक्ति ने स्वयं या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी सेवक या व्यक्ति ने ऐसे लाइसेंस, अनुज्ञा–पत्र या आदेष की षर्तोंका उल्लंघन किया हो, या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अधिनियम या आबकारी, राजस्व या मद्यनिषेध से सम्बंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध या किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो।

(2) ऐसा अधिकारी, जिसने इस नियमावली के अधीन लाइसेंस या अनुज्ञापत्र दिया हो, ऐसे व्यक्ति से किसी सूचना की, कि वह लाइसेंस या अनुज्ञापत्र अभ्यर्पित करना चाहता है, प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा लाइसेंस या अनुज्ञापत्र रद्द कर देगा।

(3) जब ऐसा लाइसेंस, अनुज्ञापत्र या आदेश रद्द या निलम्बित कर दिया जाय, तब ऐसा व्यक्ति अपने पास की समस्त विनिर्मित औषधियां कलेक्टर को तरुन्त सौंप देगा।

(4) जब इस नियमावली के अधीन लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास की कोई विनिर्मित औषधि उपयोग के लिये उसके द्वारा आयोग्य पायी जाय, तब ऐसा व्यक्ति ऐसी औषधि को नष्ट करने के लिये कलेक्टर को तुरन्त दे देगा।

अध्याय छः

पोस्त तृण (पॉपी स्ट्रा)

20. खेतिहर द्वारा पोस्त तृण का निस्तारण–प्रत्येक खेतिहर जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन अफीम के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती करने के लिये लाइसेंस दिया गया हो, अफीम की प्रत्येक कटाई के पष्चात् लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसी खेती से प्राप्त पोस्त तृण का निस्तारण निम्नलिखित रीति से करेगा।

(1) खेतिहर अपने पास पोस्त तृण के सम्पूर्ण स्टाक की और उस रीति की जिस प्रकार उसका निस्तारण किया जाना आषयित हो, घोषणा जिले के कलेक्टर को अफीम की प्रत्येक कटाई के पूर्ण होने के एक पखवारे के भीतर और किसी भी स्थिति में, उसी वर्ष के 15 जुलाइ तक करेगा और उसके निस्तारण के लिये आदेश प्राप्त करेगा।

(2) वह ऐसे पोस्त तृण को किसी भी वर्ष उस वर्ष की 31 जुलाई के पष्चात् अपने पास रखेगा।

(3) वह उपर्युक्त दिनांक की समाप्ति के पूर्व ऐसे पोस्त तृण का निस्तारण–

(क) राज्य में या किसी अन्य राज्य में किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को उसे बेचकर,

(ख) भांडागारण करके,

(ग) भाण्डागारण के लिये उसे निर्यात करके,

(घ) भारत के बाहर उसका निर्यात करके,

(ङ.) अपने खेत में खाद के रूप में उसका, उपयोग करके, या

(च) उसे जलाकर नष्ट करके,

कर सकता है

परन्तु पोस्त तृण को, जिले के कलेक्टर की सूचित करने के पष्चात् और किसी ऐसे अधिकारी की जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, उपस्थिति में नष्ट या खाद के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

21. पोस्त तृण का भाण्डागारण– (1) जिले का कलेक्टर किसी स्थान को भाण्डागार घोषित कर सकता है जिसमें ऐसे समस्त पोस्त तृण को, जो उसकी कृषि उपज के रूप में हो, जमा करना स्वामी का कर्त्तव्य होगा। किसी स्थान को भाण्डागार घोषित करने वाले आदेष में ऐसे भाण्डागारित पोस्त तृण की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये प्रबन्ध और बिकी के लिये उसे हटाने की शर्तें विनिदिष्ट होगी,

(2) पोस्त तृण का खेतिरह किसी स्थान को कलेक्टर द्वारा भाण्डागार के रूप में अनुमोदित कराने के पष्चात् उसमें पोस्त तृण का भण्डारण कर सकता है।

(3) पोस्त तृण का भाण्डारण करने के फीस 100 रुप्ये प्रति भाण्डार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति होगी। फीस न देने की दशा में कलेक्टर भाण्डागारित पोस्त तृण का निस्तारण निमय 20 (तीन) (क), (ख), (ग), (ध), और (च) में निर्धारित रीति से कर सकता है।

22. कय, विकय, कब्जे में रखने आदि पर निर्बन्धन–इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, सिवाय कलेक्टर द्वारा जारी किये गये लाइसेंस या अनुज्ञापत्र के अधीन पोस्त तृण का कय, कब्जा, विकय, परिवहन, भाण्डारण, आयात या निर्यात नहीं करेगा।

23. पोस्त तृण के लिए व्यापारी का लाइसेंस–कलेक्टर किसी व्यापारी को पोस्त तृण का कय या भाण्डारण करने के लिय 100 रुप्ये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस देने पर, प्रपत्र संख्या स्वापक ओषधि तृण–1 (फार्म एन.डी. पी. एस.–1) में लाइसेंस दे सकता है। लाइसेंसधारी प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेंस रखने वाले किसी अन्य व्यापारी को या ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास वैज्ञानिक, चिकित्सीय या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिये कलेक्टर से प्राप्त अपेक्षित अनुज्ञापत्र हो पोस्त तृण बेच सकता है।

24. व्यापारी के लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र– प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में व्यापारी के लाइसेंस के लिये कोई व्यक्ति कलेक्टर को आवेदन–पत्र दे सकता है

जिसमें उनका नाम, पूरा पता, उसके कारबार परिसर का पूरा विरण और पता और लाइसेंस फीस का ब्यौरा उल्लिखित किया जायेगा। किसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी को काई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। कलेक्टर ऐसी जांच के पष्चात् जैसी वह आवष्यक समझें, ऐसा लाइसेंस दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है। लाइसेंस देने से इन्कार करने की स्थिति में, कलेक्टर ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

25. व्यापारी के लाइसेंस की अवधि– प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेंस, उसकी स्वीकृति के दिनांक से अनुवर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिये दिया जाएगा।

26. पोस्त तृण के लिए अनुज्ञापत्र– वैज्ञानिक या चिकित्सीय प्रयोजन के लिये पोस्त तृण प्राप्त करने के लिये कोई व्यक्ति अपेक्षित मात्रा और प्रयोजन जिसके लिये पोस्त तृण की आवष्यकता है, का पूरा ब्योरा उल्लिखित करते हुए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है। कलेक्टर ऐसी जांच के पष्चात् जैसी वह आवष्यक समझे, 10 रुप्ये की अनुज्ञा–पत्र फीस देने पर प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 (फार्म एन. डी. पी. एस. –2) में अनुज्ञा पत्र जारी कर सकता है। अनुज्ञा पत्र धारक प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेंस रखने वाले लाइसेन्सधारी से अपने अनुज्ञा–पत्र में उल्लिखित पोस्त तृण प्राप्त करेगा।

27. अपवाद– पूर्ववर्ती नियमों की कोई बात सरकार की मद में पोस्त तृण के कय, कब्जे में रखने या विकय पर लागू नहीं होगी।

पोस्त तृण का परिवहन

28. लाइसेंस प्राप्त खेतिहर के द्वारा परिवहन–पोस्त का लाइसेंस प्राप्त खेतिहर, किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास इस नियमावली के अधीन परिवहन या निर्यात पास हो बिकी के लिये पोस्त तृण का जो उसकी खेती की उपज हो, जिले के भीतर अपनी खेती के स्थान से अपनी निवास–स्थान को, दोनों सीनों में से किसी स्थान से भाण्डागार को परिवहन कर सकता है।

29. पास के अधीन परिवहन– (1) प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण– 1 में लाइसेंस रखने वाला कोई व्यापारी या प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 में अनुज्ञा–पत्र रखने वाला व्यक्ति या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद ष्षुल्क) अधिनियम, 1955 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रपत्र संख्या लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 में स्वीकृत लाइसेन्स रखने वाला व्यक्ति प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–3, (फार्म एन. डी. पी. एस. –3) में परिवहन पास के लिये कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन कर सकता है और उसके प्राप्त हो जाने के पष्चात् किसी लाइसेन्स प्राप्त खेतिहर या प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स रखने वाले व्यक्ति से कय किये गये पोस्त तृण का पास में विनिर्दिष्ट सीमा तक परिवहन कर सकता है।

(2) नियम (1) में उल्लिखित आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी ऐसी जांच करा सकता है जैसी वह आवष्यक समझें और समाधान हो जाने पर वह आवेदन को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–3 में, चार प्रतियों में, पास दे सकता है। पास की प्रथम उस स्थान के, जहां से परिवहन किया जाना हो, आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी, द्वितीय प्रति गन्तव्य स्थान के आबकारी निरीक्षण को भेजी जायेगी, तृतीय प्रति आवेदन को पारेषण के साथ संलग्न करने के लिये दी जाएगी और चतुर्थ प्रति उसके द्वारा अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

(3) गन्तव्य स्थान पर परेषण के पहुंचने पर, परेषिती सर्किल के आबकारी निरीक्षक को सूचित करेगा और उसे परेषण की जांच करने और तौलने और उसकी अन्तर्वस्तुओं की परीक्षा करने की अनुमति देगाः

परन्तु जहां सर्किल का आबकारी निरीक्षक परेषक के पहुंचने की सूचना के 2 दिन के भीतर उसका सत्यापन नहीं कर पाता है, वहां परेषिती स्वयं उसे खोल सकता है।

(4) परेषिती परेषण का सत्यापन करने के पष्चात् परेषण के साथ प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवष्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे परिवहन पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा।

(5) उस सर्किल का आबकारी निरीक्षक, जहां से सम्भरण किया जाए, सत्यान करने के पष्चात् अपने द्वारा प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवष्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा। तत्सदृष कार्यवाही परेषण के गन्तव्य स्थान पर आबकारी निरीक्षक द्वारा की जायेगी।

30. सरकारी लेखा में परिहवन– सरकार द्वारा पोस्त–तृण का परिवहन स्वयं अपने लेखा में किया जा सकता है।

31. परिवहन का प्रतिशेध–पूर्ववर्ती नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, पोस्त तृण का परिवहन प्रतिषिद्ध है।

पोस्त तृण का आयात

32. सरकार द्वारा आयात– पोस्त तृण का आयात सरकार द्वारा स्वयं अपने लेखा में किया जा सकता है।

33. लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा आयात– (1) कोई व्यापारी जिसके पास प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स हो या कोई व्यक्ति जिसके पास प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 में अनुज्ञापत्र हो और जो भारत में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र से पोस्त तृण का आयात करना चाहता हो, प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–4 (फार्म एन. डी. पी. एस.–4) में आयात पास के लिये कलेक्टर को आवेदन–पत्र देगा। आवेदन–पत्र के साथ उस जिले के, जहां पोस्त तृण का आयात किया जाना हो, कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाएगा और उसे प्राप्त करने के पष्चात्, वह उपनियम (2) के अनुसार दिये जाने वाले पास की षर्तों के अधीन रहते हुए, पोस्त तृण का आयात कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर ऐसी जांच करा सकता है, जैसी वह आवष्यक समझे, और यदि उसका समाधान हो जाय कि कोई आपत्ति नहीं है, तो वह प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–4 में पास देगा। पास चार प्रतियों में जारी किया जायगा। पास की प्रथम प्रति आवेदक को परेषण के साथ संलग्न करने के लिये दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात के जिले के कलेक्टर को

अग्रसारित की जायगी, तृतीय प्रति आयात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को भेजी जायगी, और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

(3) नियम 29 के उपनियम (3) से (5) राज्य के बाहर से आयात किये गये पोस्त तृण के परेषणों के सत्यापन पर यथावष्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

पोस्त तृण का निर्यात

34. सरकार द्वारा निर्यात– सरकार स्वयं अपने लेखा में पोस्त तृण का निर्यात कर सकती है।

35. लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या खेतिहर द्वारा निर्यात– (1) कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी जिसके पास प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स हो या अफीम पोस्त का कोई लाइसेन्स प्राप्त खेतिहर जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र को पोस्त तृण का निर्यात करना चाहता हो, कलेक्टर को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 (फार्म एन. डी. पी. एस.–5) में निर्यात पास के लिये आवेदन–पत्र देगा, आवेदन–पत्र के साथ उस जिले के जहां पोस्त तृण का निर्यात किया जाना हो, कलेक्टर या इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का आयात पास या ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' संलग्न करेगा और प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 में निर्यात पास प्राप्त होने पर उप नियम (2) के अनुसार दिये जाने वाले पास की षर्तोंके अधीन रहते हुए पोस्त तृण का निर्यात कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पष्चात् कलेक्टर ऐसी जांच करा सकता है जैसी वह आवष्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित पास देने में कोई आपत्ति नहीं है प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 में आवेदन को निर्यात पास दे सकता है। पाच चार प्रतियों में जारी किया जाएगा। पास की प्रथम प्रति आवेदन को परेषण के साथ संलग्न करने के लिये दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षण को अग्रसारित की जायेगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

(3) निर्यात सर्किल का आबाकारी निरीक्षण आवष्यक सत्यापन करने के पष्चात् उसको भेजे गये पास के पृष्ठ भाग पर वस्तुतः निर्यात की गयी मात्रा के सम्बंध में प्रविष्टि करेगा और उसे पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा।

(4) परेषिती अपने द्वारा प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर परेषण के व्योरे के सम्बंध में आवष्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे आयात पास या अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने वाले अधिकारी के माध्यम से आयात पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा। यदि प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 में निर्यात पास दो मास के भीतर सम्यक् रूप से सत्यापित होकर वापस प्राप्त नहीं होता तो सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा आगे परेषण का निर्यात करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

36. निर्यात का प्रतिशेध– पूर्ववर्ती नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य के बाहर पोस्त तृण का निर्यात प्रतिषिद्ध हैं।

प्रकीर्ण

37. परेषण को पैक करना और मुहरबन्द करना– इस नियमावली के अधीन परिवहन, आयात या निर्यात किये जाने वाले पोस्त तृण का प्रत्येक परेषण समुचित रूप से पैक किया जाएगा, मजबूती से बांधा जायेगा और मुहरबन्द किया जायेगा ताकि वह खोला न जा सके और उसकी अन्तवस्तुओं में, मुहर या पैंकिंग सामग्री को तोड़े या हानि पहुंचाये बिना, अन्तःक्षेप न किया जा सके या निकाला जा सके।

38. रेल द्वारा परिवहन – (1) कोई व्यक्ति रेल द्वारा किसी परेषण की जिसमें पोस्त तृण हो, तब तक न तो ले जायेगा और न ले जाने के लिये प्रस्ताव करेगा जब तक कि ऐसा परेषण अपेक्षित पास से आछादित न हो या उसके साथ न हो।

(2) रेल प्रषासन ऐसे पास में निर्धारित षर्तोंके अनुसार ऐसा परेषण भेजेगा और ऐसे परेषण भेजेगा और ऐसे परेषण के बल्क को अभिवहन में तोड़ा नहीं जायेगा।

39. डाक द्वारा परेषण भेजा जाना– किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 या स्वापक पोस्त तृण–2 में लाइसेन्स/अनुज्ञा–पत्र हो या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद षुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र

लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 हो, पोस्त तृण को डाक द्वारा परेषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित षर्तोंके अधीन दी जा सकती है–

(क) ऐसा परेषण भेजते समय केवल पार्सल डाक का प्रयोग किया जाएगा और पार्सल का बीमा किया जाएगा।

(ख) परेषण कलेक्टर द्वारा जारी किये गये पास से आच्छादित होगा।

(ग) पार्सल के साथ एक घोषणा–पत्र होगा जिसमें परेषिती और परेषक के नाम, सविस्तार पार्सल की अन्तर्वस्तुएं, पास जिससे परेषण आच्छादित हो, की संख्या और दिनांक और ऐसे अन्य विवरण उल्लिखित किये जायेंगे जैसी आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाय।

40. लाइसेन्स का नवीकरण– किसी लाइसेन्स का नवीकरण कलेक्टर द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और ऐसा लाइसेन्स देने के लिये विहित फीस का भुगतान करने पर किया जा सकता है।

41. लाइसेन्स के नवीकरण के लिये कोई दावा नहीं किया जायेगा– कोई व्यक्ति जिसे लाइसेन्स दिया गया हो, अधिकार स्वरूप उसके नवीकरण के लिये दावा करने का हकदार नहीं होगा, और लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनकरण करने से इन्कार करने के परिणामस्वरूप क्षति के लिये या अन्यथा कोई दावा नहीं किया जायेगा।

42. लेखा रखना– प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स रखने वाले व्यक्ति प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–6 (फार्म एन.डी. पी. एस.–6) में पोस्त तृण की प्राप्ति और बिक्री का दैनिक लेखा रखेगे।

43. लाइसेन्स का अभ्यर्पण– कोई लाइसेन्सधारी जिसके प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स हो अपना लाइसेन्स अभ्यर्पित करने के अपने अभिप्राय की लिखित सूचना कलेक्टर को देने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर अपना लाइसेन्स अभ्यर्पित कर सकता है।

44. लाइसेन्स की समाप्ति या अभ्यर्पण पर स्टाक का निस्तारण– कोई व्यक्ति जिसके पास इस नियमावली के अधीन प्रपत्र संख्या स्वापक, औषधि पोस्त तृण–1 में दिया गया लाइसेन्स या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–षुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र संख्या लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 में दिया गया लाइसेन्स हो, कलेक्टर की अनुज्ञा से, अपने लाइसेन्स की समाप्ति या अभ्यपण के पष्चात् अपने कब्जे में बचे किसी पोस्त तृण का निस्तारण नियम 20 (3), (क), (ख), (ग), (घ), और (च), में निर्धारित रीति से दो सप्ताह के भीतर करेगा।

अध्याय–सात

विनिर्मित औषधियों का आयात, निर्यात और परिवहन

45. प्रतिशेध– कोई व्यक्ति किसी विनिर्मित औषधि का, सिवाय उतनी मात्रा में जितनी वह, इस नियमावली, के अधीन विधिपूर्वक रख सकता है, आयात, निर्यात या परिवहन नहीं करेगा।

46. अनुमोदित व्यवसायी द्वारा आयात या परिवहन– कोई अनुमोदित व्यवसायी, सिवाय ऐसी औषधियों के जो विनिर्दिष्ट की जांय और उतनी मात्रा में जितनी उसे विधिपूर्वक रखने की अनुमति दी जाय, किसी विनिर्मित औषधि का आयात या परिवहन नहीं करेगा।

47. विशेष या सामान्य आदेश के अधीन परिवहन– कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के अधीन किसी विषेष या सामान्य आदेष से आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो, विनिर्मित औषधियों का आयात ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से कर सकता है जो उस आदेष में विनिर्दिष्ट की जाय।

48. आयात प्राधिकरण–पत्र– (1) कोई व्यक्ति या कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी या कोई लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ या कोई अनुमोदित व्यवसायी, जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से विनिमित औषधियों का आयात करना चाहता हो, आबकारी आयुक्त को आयात प्राधिकार–पत्र के लिये आवेदन–पत्र दे सकता है जिसमें वह निर्यातकर्ता का नाम और पता, आयात की जाने वाली विनिर्मित औषधियों की मात्रा का विवरण और ऐसे आयात के कारण उल्लिखित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करा सकता है जो वह आवष्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित आयात प्राधिकार पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है आवेदन को आयात प्राधिकार–पत्र दे सकता है।

49. निर्यातकर्ता राज्य के निर्यात नियमों का अनुपालन–इस नियमावली की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि राज्य के बाहर भारत के किसी भाग से विनिर्मित

औषधियों का आयात करने की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी है जब तक कि ऐसी औषधियों के निर्यात के सम्बंध में भारत के ऐसे भाग में तत्समय प्रवृत्ति नियमों का अनुपालन न कर लिया गया हो।

50. लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा निर्यात– कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी, अपने लाइसेन्स की षर्तों के अधीन रहते हुए, राज्य के बाहर भारत के किसी भाग को विनिर्मित औषधियों का निर्यात भारत के ऐसे भाग में तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन स्वीकृत और इस नियमावली की अपेक्षानुसार आवकारी आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आयात प्राधिकार–पत्र के निबन्धनों के अधीन रहते हुए कर सकता है।

51. अस्पतालों को निर्यात–आयातकर्ता राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन या सिविल पषु चिकित्सा विभाग के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विनिर्मित औषधियों के मांग–पत्र को इस नियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी–पत्र समझा जायेगा तथा उस पर और किसी प्रतिहस्ताक्षर की आवष्यकता नहीं होगी।

52. किसी व्यक्ति द्वारा निर्यात– आबकारी आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन किसी विषेष या सामान्य आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, विनिर्मित औषधियों को निर्यात ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से जैसी उन आदेष में विनिर्दिष्ट की जाय, कर सकता है।

53. निर्यात की प्रक्रिया– (1) कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र को विनिर्मित औषधियों का निर्यात करने का इच्छुक हो, आबकारी आयुक्त को निर्यात प्राधिकार–पत्र के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है, जिसके साथ आयात प्राधिकार पत्र या उस राज्य का जिसे विनिर्मित औषधियां निर्यात की जाती हो, 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करा सकता है। जैसी वह आवष्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित निर्यात प्राधिकार–पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है आवेदक को निर्यात प्राधिकार–पत्र दे सकता है।

(3) निर्यात प्राधिकार–पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म ए. डी. ई.) में, चार प्रतियो में, निर्यात पास जारी करेगा। पास एक प्रति परेषण के साथ लगाने के लिये आवेदक को दी जाएगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जाएगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिये रख ली जाएगी।

(4) निर्यात सर्किल का आबकारी निरीक्षण, आवष्यक सत्यापन के पष्चात् अपने पास भेजे गये पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर वास्तव में निर्यात की गयी मात्रा के सम्बंध में प्रविष्टि करेगा और उसे पास देने वाले कलेक्टर को लौटा देगा।

(5) परेषिती अपने द्वारा परेषण के साथ प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवष्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे आयात प्राधिकार–पत्र देने वाले अधिकारी के माध्यम से निर्यात पास देने वाले कलेक्टर को लौटा देगा। यदि प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात में निर्यात पास दो मास के भीतर सम्यक् रूप से सत्यापित होकर वापस प्राप्त न हो तो सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा अग्रतर परेषण का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

54. अनुज्ञा–पत्र या प्राधिकार–पत्र के अधीन परिवहन– कोई व्यक्ति, जिसे विनिर्मित औषधियों के परिवहन के लिये कलक्टर द्वारा प्राधिकार–पत्र दिया गया हो, ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से जैसी उसे स्वीकृत प्राधिकार–पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय, औषधियों का परिवहन कर सकता है।

55. डाक द्वारा आयात निर्यात या परिहवन पर निर्बन्धन– इस नियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति डाक द्वारा विनिर्मित औषधियों का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं करेगा।

56. डाक द्वारा परेषण– औषधीय प्रयोजनों के लिये लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ या लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को विनिर्मित औषधियां अन्तर्देषीत डाक द्वारा भेजने की अनुज्ञा निम्न लिखित षर्तोंके अधीन दी जा सकती है:–

(एक) केवल पार्सल डाक का उपयोग किया जाएगा,

(दो) पार्सलों का बीमा कराया जाएगा,

(तीन) पार्सल पास द्वारा आच्छादित होगा जो राज्य के भीतर किसी जिले में भेजने की स्थिति में उस जिले के कलेक्टर द्वारा और मामलों में उस राज्य के जिसको पार्सल भेजा जा रहा हो, समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा,

(चार) पार्सल के साथ एक घोषणा–पत्र होगा जिसमें परेषती और परेषक का नाम, पार्सल की अन्तर्वस्तुओं का विस्तृत ब्योरा, परेषण को आच्छादित करने वाले पास की संख्या और दिनांक और परेषिती द्वारा धृत लाइसेंस या प्राधिकार पत्र का ब्योरा उल्लिखित होगा,

(पांच) परेषिती अपनी लेखाबही में परेषक का नाम और समय–समय पर डाक द्वारा प्राप्त औषधियों की मात्रा स्पष्ट रू‶ से उल्लिखित करेगा।

57. आबकारी आयुक्त के निर्देषों का अनुपालन– विनिर्मित औषधियों का आयात, निर्यात या परिहवन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सामान्य या विषेष निदेषों का अनुपालन करेगा जो आबकारी आयुत द्वारा दिये जाएं।

अध्याय आठ

अफीम

58. सरकार द्वारा क्रय–(1) नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी 'कलक्टर के पास रजिस्ट्रीकृत व्यवसनियों के उपयोग के लिये सरकार द्वारा सरकारी अफीम और ऐल्के लाइड संकर्म, गाजीपुर से अफीम खरीदी जा सकती है, सरकार से प्राप्त वार्षिक अधिचायन–पत्र पर ऐसा सम्भरण ऐसी अफीम प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा प्राधिकारी (अधिकारियों) को किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के अनुसार प्राप्त अफीम समुचित सुरक्षा प्रबन्ध में जिला कोषागार में रखी जा सकती है।

59. व्यसनियों को अफीम दिया जाना– जिला कोषागार से रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों को अफीम ऐसी मात्रा में और ऐसे मूल्य पर और ऐसी षर्तोंपर दी जा सकती है जैसा इस नियमावली में उपबन्धित हो।

60. खेतीहारों द्वारा कब्जे में रखने के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन अफीम के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस प्राप्त खेतिहर द्वारा अफीम के अपने उत्पाद को कब्जे में रखने पर उस समय तक लागू नहीं होगी, जब तक उससे यह अपेक्षा की जाय कि वह ऐसे उत्पाद को केन्द्र सरकार के लेखे में ऐसी अफीम प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत स्वापक (नार्कोटिक) विभाग के अधिकारी की दे दें।

61. खेतिहर द्वारा परिवहन के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात लाइसेंस प्राप्त अफीम पोस्त के खेतिहर द्वारा अपने अफीम उत्पाद की अफीम को ऐसे खेत से, जहां वह उत्पादित की गयी हो, अपने निवास–स्थान तक और अपने निवास–स्थान से ऐसी अफीम के संग्रक के लिये स्वापक विभाग द्वारा सीापित अफीम तौलने के केन्द्र तक परिवहन करने पर लागू नहीं होगी।

62. केन्द्र सरकार क़ी ओर से परिवहन के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात केन्द्र सरकार की ओर से अफीम तौलने के केन्द्र से सरकारी अफीम और ऐलकेलाईट संकर्म, गाजीपुर तक अफीम के परिवहन पर लागू नहीं होगी।

63. सरकार की ओर से परिवहन निर्यात या आयात के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात सरकारी अफीम और ऐलकेलाइड संकर्म, गाजीपुर से या तक अफीम या किसी विनिर्मित औषधि के परिवहन, निर्यात या आयात पर लागू नहीं होगी।

64. अफीम व्यसनियों को अनुज्ञापत्र– (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का न हो और इस नियमावली के अधीन व्यसनी के रूप रजिस्ट्रीकृत हो या भारत के अन्य राज्य या संघ, क्षेत्र में अफीम व्यसनियों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बंध में प्रवृत्त नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और जिसके पास सम्यक् रूप से नियुक्त चिकित्सा बोर्ड का प्रमाणपत्र हो और चिकित्सीय आधार पर मुख से सेवन के प्रयोजनार्थ अफीम रखता हो, कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी को अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन–पत्र देगा।

(2) कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी जांच करायेगा जो वह आवष्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित अनुज्ञा–पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है, वह सरकार या आबकारी आयुक्त के स्थायी आदेष के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, आवेदन को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–1 (फर्मा एन. डी. ओ.– 1) में अनुज्ञा–पत्र जिसके साथ अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा अफीम के कय का सही–सही लेखा रखने के लिये सम्यक् रूप से संलग्न प्रपत्र ''घ'' की एक प्रति होगी, 10 रुपये का भुगतान करने पर स्वीकृत करेगा।

(3) अनुज्ञा– पत्रधारी समय–समय पर सरकार द्वारा विहित मूल्य देकर सम्बद्ध कोषागार से अपनी अफीम प्राप्त करेगा।

(4) अपर्युक्त उपनियम (2) के अधीन जारी किये किये गये अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त अफीम से भिन्न कोई अफीम अनुज्ञा–पत्र धारी द्वारा न तो रखी जायेगी और न उसका सेवन किया जायेगा।

(5) अनुज्ञा–पत्र के अधीन क्रय की गयी अफीम का सेवन अनुज्ञापत्रधारी से भिन्न न तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा और न उसका सेवन उस प्रयोजन से, जिसके लिये अनुज्ञापत्र दिया जाय, भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा।

(6) अनुज्ञापत्रधारी कानाम जिला आबकारी कार्यालय में रखे गये प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–3 (फाम्र एन. डी. ओ.–3) में रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर से सुसंगत उद्धरण उस सर्किल के, जिसमें अनुज्ञापत्रधारी निवास करते हों, आबकारी निरीक्षकों को भेजे जायेंगे।

(7) अनुज्ञा–पत्र, अफीम की उतनी मात्रा के सम्बंध में जितनी, यथास्थिति, क्लेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी, चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षण के पष्चात जिसका अभिलेख चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–5 (फार्म एन. डी. ओ.–5) में रखा जाएगा प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–4 (फार्म एन. डी. ओ.–4) में दिये गये प्रमाण–पत्र पर और सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेषों और निदेषों के अनुसार निष्चित करे, दिया जायेगा, परन्तु अनुज्ञापत्र में एक मास में 50 ग्राम से अधिक का कोट विहित नहीं किया जायेगा और यह और कि विहित मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष में अनुज्ञापत्रधारी को अनुमत मात्रा से अधिक नहीं होगी।

(8) किसी अनुज्ञापत्रधारी को प्रारम्भ में अनुमत अफीम का कोटा प्रति तिमाही में 1/8 भाग कम कर दिया जायेगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कम की गयी मात्रा प्रति तिमाही 10 ग्राम से कम नहीं होगा और इस आषय का पृष्ठांकन अनुज्ञा–पत्र की सभी प्रतियो में किया जायेगा।

(9) प्रारम्भ में स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र का नवीकरण, चिकित्सा बोर्ड द्वारा व्यसनी के सम्यक् परीक्षण के पष्चात 10 रुप्ये का भुगतान करने पर प्रति वर्ष किया जा सकता है।

65. वैज्ञानिक या औषधीय प्रयोजनों के लिये अनुज्ञा–पत्र– (1) कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक या औषधीय प्रयोजनों के लिये अफीम चाहता हो, प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–2 (फार्म एन. डी. ओ.–2) में अनुज्ञा–पत्र के लिये कलेक्टर के माध्यम से

आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकता है जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित किया जायेगाः–

(क) आवेदक का नाम और पूरा पता,

(ख) प्रयोजन जिसके लिये अफीम की आवष्यकता हो,

(ग) अपेक्षित अफीम की मात्रा,

(घ) अवधि जिसके दौरान वैज्ञानिक या औषधीय प्रयोजनों के लिये अफीम का उपयोग किया जायेगा, और

(ड.) स्थान जहां पर वह रखी जायेगी और उसका उपयोग किया जायेगा।

(2) कलेक्टर ऐसी जांच करा सकता है, जैसी वह आवष्यक समझे, और अपनी संस्तुतियों के साथ आवेदन–पत्र को आबकारी आयुक्त को अग्रसारित करेगा जो अपने स्तर पर अग्रतर जांच, यदि कोई हो, करने के पष्चात् आवेदक को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–2 में जिसके साथ अनुज्ञापत्रधारी द्वारा कय की गयी अफीम और उसके उपयोग का सही–सही लेखा रखने के लिये सम्यक, रूप से संलग्न प्रपत्र ''ड.'' की एक प्रति होगी, और ऐसी अन्य षर्तोंपर, यदि कोई हो, जैसा मामले में उचित हो, अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने के लिये कलेक्टर को निदेष दे सकता है। प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष–2 में अनुज्ञा–पत्र के लिये अनुज्ञा–पत्र फीस 50 रुप्या प्रति वर्ष होगी।

(3) अफीम कोषागार मूल्य पर सम्बद्ध कोषागार से या सरकारी अफीम और ऐल्केलाईड संकर्म, गाजीपुर से कय की जा सकती है।

66. जारी किये गये अनुज्ञापत्रों की सूचना– प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेष 1–और स्वापक औषधि आदेष–2 अनुज्ञा–पत्र, तीन प्रतियों में जारी में किये जायेंगे। अनुज्ञा–पत्र की एक प्रति में आवेदन को दी जायेगी और द्वितीय प्रति सम्बद्ध कोषागार को दी जायेगी और तृतीय प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

67. औषधालयों द्वारा अफीम कब्जे में रखना– ऐसे व्यक्ति जिनके पास औषधीय और प्रसाधन निर्मिनियां (उत्पाद ष्षुल्क) नियम 1956 के अधीन लाइसेन्स 1 (एल–1) और लाइसेन्स–2 (एल–2) में हो, अपने–अपने लाइसेन्सों में अनुमत सीमा तक अफीम अपने पास रख सकते हैं।

68. औषधालयों द्वारा परिवहन–कोई व्यक्ति जिसके पास औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–षुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 से लाइसेन्स हो, यदि औषधीय और प्रसाधन निमितियां (उत्पाद–षुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र आई. डी.– 1 में मांग–पत्र पर किसी कोषागार या सरकारी अफीम और ऐलकलाइउ संकर्म, गाजीपुर से अफीम कय करे तो वह कोषागार के प्रभारी अधिकारी से प्राप्त अफीम के प्रत्येक निर्गम के लिये, अपने लाइसेन्स में, प्रविटिष्ट करायेगा। लाइसेन्स द्वारा उसे कोषागार या सरकारी अफीम और ऐल्केलाइड संकर्म, गाजीपुर से इस प्रकार जारी की गयी अफीम को केवल विनिर्माण के लिये निर्धारित स्थान तक परिवहन करने का प्राधिकार होगा।

69. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा परिवहन– प्रपत्र स्वापक औषधि आदेष–1 या स्वापक औषधि आदेष–2 में अनुज्ञा–पत्र रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अफीम का परिवहन उनके सम्बन्धित अनुज्ञापत्रों पर कोषागार द्वारा किये गये पृष्ठांकन द्वारा आच्छादित होगा।

70. सेना प्रदाय विभाग द्वारा परिवहन– सषस्त्र बल का सेना प्रदाय विभाग सकिय सेवा के लिये प्रस्थान करते समय समादेषक अधिकारी द्वारा अधियाचन पर विधिपूर्वक प्राप्त अफीम का परिवहन कर सकता है।

71. सरकारी लेखा में अफीम का परिवहन–सरकार द्वारा अफीम या अफीमयुक्त औषधियों का परिवहन अपने लेखा में किया जा सकता है।

72. केवल सदर के कोषागारों से अफीम की बिक्री– सदर कोषागारों से अफीम व्यवसनियों को अफीम की बिक्री ऐसी दर पर, जो सरकार समय–समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा विहित करे, की जायेगी। सम्भरण ऐसी षर्तोपर किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जायं।

73. सक्रिय सेवा के लिये प्रस्थान करने वाले रेजिमेन्टों के समानुदेशक अधिकारियों को सम्भरण– रेजिमेन्टों के समादेषक अधिकारी से जब वे सक्रिय सेवा के लिये प्रस्थान करें, अधिचायन पर कोषागार मूल्य का पूर्व भुगतान करने पर, सदर कोषागारों से केवल आधा किलोग्राम की टिक्की में अफीम का सम्भरण किया जायेगा।

74. लाइसेन्सों और अनुज्ञापत्र की अवधि पर नवीकरण– (1) इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स और अनुज्ञा–पत्र प्रारम्भ में आबकारी वर्ष के लिये, जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर और अनुवर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष हो, दिया जायेगा। आबकारी वर्ष के दौरान दिया गया कोई लाइसेन्स अनुवर्ती 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसे इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स या अनुज्ञा–पत्र दिया जाय, न तो ऐसे लाइसेन्स या अनुज्ञा–पत्र के नवीकरण के लिये हकदार होगा, और न ही उसकी समाप्ति पर या उसके नवीनकरण न किये जाने पर प्रतिकर के लिये ही हकदार होगा।

75. चिकित्सा बोर्ड का गठन– (1) सरकार राज्य में प्रत्येक मण्डल के मुख्यालय नगर में अफीम व्यसनियों के परीक्षण के लिये एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगी। चिकित्सा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक) मण्डल में जिला मुख्यालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

(दो) मण्डल के मुख्यालय पर जिला चिकित्सा अधिकारी,

(तीन) मण्डल के मुख्यालय जिले के जिला अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।

(2) चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिये फीस 100 रुप्ये प्रति व्यसनी होगी।

(3) चिकित्सा बोर्ड अपनी संस्तुति प्रपत्र स्वापक औषधि आदेष–4 में मामले के अन्य अभिलेखों के साथ सम्बद्ध जिले के कलेक्टर को अग्रसारित करेगा। चिकित्सा परीक्षणों का द्वारा प्रपत्र स्वापक औषधि आदेष–5 में एक रजिस्टर में रखा जायेगा।

अध्याय–नौ

प्रकीर्ण

76. वारन्ट और प्राधिकार–पत्र जारी करने की शक्ति आबकारी, पुलिस, औषधि नियंत्रण या राजस्व विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारी अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

77. बिना वारन्ट या प्राधिकार–पत्र के प्रवेष करने, तलाषी लेने अधिग्रहण और गिरफ्तार करने की ष्क्ति– आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो उप निरीक्षण से निम्न श्रेणी का न हो या औषधि नियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो तहलीलदार से निम्न श्रेणी का न हो, अधिनियम की धारा 42 के अधीन ष्क्ति का प्रयोग कर सकता है।

78. अधिकारी जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे– आबकारी या औषधि नियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न श्रेणी का न हो, अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के मामलों में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की ष्क्तियों का प्रयोग कर सकता है।

79. अभिवहन में परेषण का निरीक्षण– आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षण से निम्न श्रेणी का न हो, या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या औषधि नियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न श्रेणी का न हो, किसी भी समय अभिवहन में स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के किसी परेषण का परीक्षण कर सकता है। यदि ऐसे परीक्षण पर, ऐसे अधिकारी को यह पता चले कि अभिवहन में स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा जारी किये गये अनुज्ञा–पत्र या पास या प्राधिकार–पत्र या लाइसेंस के निबन्धनों और षर्तोंके अनुरूप नहीं है तो परेषण को रोक लिया जायेगा और जिले के

कलेक्टर को उसकी रिपोर्ट की जायेगी जो अनुज्ञा–पत्र या पास या प्राधिकार पत्र या लाइसेंस के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पष्चात् उसे अधिहृत कर लेगा। इस नियम के अधीन की गई कार्यवाही अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये अनुज्ञा–पत्र या पास या पास या प्राधिकरण पत्र या लाइसेंस के धारक को अभियोजन से वर्जित नहीं करेगी।

80. लाइसेंस परिसर का निरीक्षण– आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षण के पद से निम्न श्रेणी का न हो, किसी भी समय, चाहे दिन या रात्रि में, किसी स्थान में जिसमें कोई लाइसेंसधारी या अनुज्ञापत्रधारी स्वापक औषधियों का विनिर्माण, संग्रह या विक्रय करता है, प्रवेष कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसी स्वापक औषधियों का अभिग्रहण कर सकता है जिनका लाइसेंसधारी अनुज्ञापत्रधारी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का या अपने लाइसेंस या अनुज्ञा–पत्र की षर्तोंका उल्लंघन करके, विनिर्माण।

81– विनिपिद्ध और अन्य अधिहृत वस्तुओं का निस्तारण (1) अधिनियम के अधीन अधिहृत समस्त पषुओं, वाहनों वस्तुओं या स्वापक औषधि से भिन्न चीजों का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा कलेक्टर या जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रत्येक स्वापक औषधि (गांजा, चरस, भांग, पोस्त–तृण या निर्मित अफीम को छोड़ कर) का नमूना सरकारी रासायनिक परीक्षक, आगरा को विष्लेषण के लिये भेजा जायेगा। एक्साइज मैनुअल खण्ड–एक (1974 संस्करण) के पैरा 282 में निर्धारित प्रक्रिया, यथावष्यक परिवर्तन सहित, नमूना भेजने के मामले में लागू होगी। रासायनिक परीक्षण से रिपोर्ट प्राप्त होने पर विनिषिद्ध पदार्थों का निस्तारण कलेक्टर द्वारा अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।

(3) यदि अधिहृत औषधि गांजा, चरस, भांग, पोस्त–तृण या निर्मित अफीम हो तो उसे कलेक्टर के आदेष से जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जायेगा।

82. पुरस्कार– अधिनियम के अधीन अभियुक्त की दोष सिद्धि पर वसूल किये गये जुर्माने और अधिहृत वस्तुओं के आगम से प्रापत धनराषि को पहले समुचित विभागीय प्राप्ति शीर्षक में जमा किया जायेगा और ऐसे अधिकारियों या व्यक्तियों को जिन्होंने अभियुक्त का पता लगाने और उसे सिद्ध दोष करने में सहयोग दिया हो, वित्तीय नियम के अनुसार समुचित विभागीय व्यय शीर्षक से पुरस्कार दिया जा सकता है।

83. अपील– इस नियमावली के अधीन कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी के आदेष के विरूद्ध अपोल आबकारी आयुक्त को की जायेगी और सम्बद्ध पक्षकार को दिये गये आदेश की सूचना के दिनांक तीस दिन के भीतर आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी, परन्तु आबकारी आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी उक्त समय सीमा के भीतर अपनी अपील उन कारणों से, जो उसके नियंत्रण के परे थे, प्रस्तुत न कर सका, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन की अग्रतर अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

84– पुनरीक्षण– राज्य सरकार इस नियमावली के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये आदेष का पुनरीक्षण कर सकती है। पुनरीक्षण याचिका सम्बद्ध पक्षकार को उस आदेष की, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण किया जाय, सूचना के नब्बे दिन के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

85– अपील या पुनरीक्षण के लिये याचिका के साथ आदेश होगा– अपील या पुनरीक्षण की याचिका के साथ उस विनिष्चय या आदेष की जिसके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया हो, अभिप्रमाणित प्रति होगी।

86– भू–राजस्व के बकाये की भांति देयों की वसूली– इस नियमावली के अधीन देय कोई शुल्क, लाइसेन्स फीस या कोई अन्य देय की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जा सकती है।

प्रपत्र ''क'' में रजिस्टर

[नियम 9 (क)]

विनिर्मित औषधि का विवरण

अस्पताल/अनुमोदित व्यवसायी का नाम और पता ....

दिनांक	हस्तगण औषधि का नाम	प्राप्त औषधि का योग	हस्तगत औषधि गयी मात्रा	उपचार में उपयोग की औषधि	रोगी का नाम और पता जिसे दी गयी
1	2	3	4	5	6

हस्तगत औषधि का अविषेष	औषधि सम्भरण कर्त्ता का पता	अभ्युक्तियां	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या अनुमोदित व्यवसायी के हस्ताक्षर
7	8	9	10

टिप्पणीः– अभ्युक्ति के स्तम्भ में कय करने के प्राधिकार आदि का निर्देष दीजिये।

प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेन्स–व्यापारी

[नियम–2 (बारह) और 17 (1) (फाम्र एन. डी. एल. डी.)]

लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा निर्मित अफीम से भिन्न औषधि जिसमें विनिर्मित औषधि अन्तविष्ट है, के विनिर्माण, कब्जे में रखने और विकय के लिये लाइसेन्स

जिला ....

लाइसेन्स संख्या ....

व्यापारी का नाम ....

दुकान का स्थान ....

विदित हो कि ....

निवासी ....को एतदद्वारा

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेष द्वारा निर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधि (जिसे आगे औष धि कहा गया है) के विनिर्माण कब्जे में रखने और विकय के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

इस लाइसेन्स के धारक/धारकों (जिसे/जिन्हें आगे लाइसेन्सधारी कहा गया है) से यह अपेक्षित है कि जब तक लाइसेन्स की षर्तेंप्रवृत्त रहें वह/वे निम्नलिखित षर्तोंका पालन करेगा/करेंगे।

शर्तें

(1) उपर्युक्त लाइसेन्सधारी को .... से 31 मार्च 198 तक औषधि,

(2) लाइसेन्सधारी एक समय में अपने कब्जे में औषधि नियंत्रण उत्तर प्रदेष द्वारा आवंटित विनिर्मित औषधि की मात्रा रखेगा।

(3) वह इस लाइसेन्स की षर्तोंके समयक् अनुपालन के लिये सम्यक् रूप से कलेक्टर के नाम पतिश्रुत 5,000 रुप्ये की धनराषि नकदी में सरकारी बचत–पत्र के रू॰ में या ऐसी अन्य मूल्यवान प्रत्याभूतियों के रू॰ में जैसी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाय, कलेक्टर के पास जमा करेगा। इस लाइसेन्स की षर्तोंके उल्लंघन या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन दोष सिद्धि की दषा में उक्त अधिनियमों के अधीन अधिरोपित ष्ाास्तियों के अतिरिक्त प्रत्याभूति समपहृत कर ली जायेगी।

(4) वह अपना लाइसेन्स किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।

(5) वह आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना भागीदारी नहीं करेगा।

(6) (क) वह अपनी औषधि ऐसे लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ को जिसके पास स्वापक औषधि लाइसेन्स रसायनज्ञ (एन. डी. एल. सी.) में लाइसेन्स हो,

(ख) अनुमोदित व्यवसायी को,

(ग) कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत मात्रा तक अस्पताल या औषधालय, षिक्षा या वैज्ञानिक संस्था को, बचेगा।

(7) वह अपने द्वारा विनिर्मित औषधि का भण्डारण केवल लाइसेन्स प्राप्त परिसर में ही करेगा।

(8) वह अपने द्वारा विनिर्मित औषधि को अपने लाइसेन्स प्राप्त परिसर में सेवन करने की अनुमति किसी को नहीं देगा।

(39) वह अपने लाइसेन्स प्राप्त परिसर का निरीक्षण करने देगा और मांग करने पर आबकारी विभाग के किसी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, या कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इस निमित्त विषेष रूप से या सामान्यतः सषक्त किसी अन्य अधिकारी को अपना लाइसेन्स और औषधि की बिक्री का लेखा तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

(10) वह आबकारी आयुक्त या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये विहित समस्त विवरण पत्र और विवरणियां ठीक समय पर नियत दिनांक को प्रस्तुत करेगा।

(11) वह निम्नलिखित निदर्षन–पत्र (प्रोफार्मा) में दैनिक लेखा रखेगा–

दिनांक	विनिर्मित औषधि का प्रारम्भिक अतिषेष	विनिमित औषधि की प्राप्ति	योग	औषधि के विनिर्माण के लिये दी गई	विनिर्मित औषधि का अतिषेष
1	2	3	4	5	6

औषधि का नाम	उत्पादित कुल मात्रा	विक्रय की गई मात्रा	केता का नाम और पूरा पता	प्राधिकार जिसके अधीन औषधि बेची गई	औषधि का अतिषेष	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12	13

(12) वह भारत के किसी भी राज्य में औषधि का निर्यात नहीं करेगा जब तक कि निर्यात नियमों का पूर्णतः अनुपालन न किया जाय।

(13) वह अपनी विनिर्मित औषधि का सम्भरण औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेष या आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट सीनों से ही प्राप्त करेगा।

(14) कि वह आबकारी आयुक्त को 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही के अन्त में किन्तु उस तिमाही के, जिससे यह

सम्बन्धित है, अनुवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व प्रपत्र "ख" में स्वापक औषधि के आयात, निर्यात और स्टाक से सम्बंधित आंकड़े जो सम्बन्धित सर्किल के आबकारी निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित और परीक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।

(15) उसके लाइसेन्स–1(एल–1) या लाइसेन्स– 2 (एल–2) के रद्द किये जाने की स्थिति में यह लाइसेन्स, जहां तक इसका सम्बंध औषधि के विनिर्माण से है, स्वतः रद्द हो जायेगा।

(16) यदि लाइसेन्सधारी द्वारा स्वयं या उनके भागीदार या अभिकर्ता या उस परिसर में, जिसके लिये लाइसेन्स दिया गया है, सेवायोजित या कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों का या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों का या ऊपर उल्लिखित षर्तोंका उल्लंघन किया जाता है तो आबकारी आयुक्त द्वारा यह लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है।

दिनांक
स्थान–

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेष।